महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय

मौनधारा (मून्दड़ी), कपिष्ठल (कैथल)-136027, हरियाणा

(हरियाणा सरकार अधिनियम 20/2018 द्वारा संस्थापित)

परिचायिका

Prospectus

2024-25

वर्तमान- अस्थायी परिसर- महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, टीक (कुरुक्षेत्र ढाण्ड मार्ग), कैथल- 136027

कार्यालय- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, जगदीशपुरा (अम्बाला मार्ग), कैथल।

सम्पर्क सूत्र – 95881-66090, 87089-97181 वेबसाईट- www.mvsu.ac.in

admission@mvsu.ac.in

विषय-सूची

कुलाधिपति संदेश (Chancellor's Message)		
कुलपति संदेश (Vice Chancellor's Message)		
कुलसचिव संदेश (Registrar's Message)		
विश्वविद्यालय के अधिकारी (University Officials)		
क्रं.सं.	**विषय**	**पृष्ठ संख्या**
1.	**विश्वविद्यालय दृष्टि एवं ध्येय** (University Vision and Mission) 1.1 विश्वविद्यालय के बारे में (About the University) 1.2 दृष्टि (Vision) 1.3 ध्येय (Mission) 1.4 उद्देश्य (Objective of the University)	**1-2**
2.	**सङ्काय एवं विभाग** (Faculty and Department)	**3-8**
3.	**विश्वविद्यालय का शोध एवं प्रकाशन विभाग** (University Research and Publication Department) **विश्वविद्यालय के अन्य शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र** (University Research Center) 3.1 वाल्मीकि शोध पीठ 3.2 कपिष्ठल कठ संहिता शोध केन्द्र 3.3 भारतीय ज्ञान-परम्परा शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र 3.4 सरस्वती सभ्यता शोध केन्द्र	**8-9**
4.	**विश्वविद्यालय के अन्य महत्त्वपूर्ण विभाग एवं परिषद्** (Other Important Departments and Cells of the University) 4.1 पुस्तकालय एवं पाण्डुलिपि सङ्ग्रह केन्द्र (Library and Manuscript Collection Center) 4.2 क्रीडा विभाग (Sports Department) 4.3 राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) 4.4 राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) 4.5 आन्तरिक गुणवत्ता प्रत्यायन परिषद् (IQAC- Internal Quality Assurance Cell) 4.6 निगरानी परिषद् (Vigilance Cell) 4.7. रैगिंग रोकथाम समिति एवं रैगिंग निषेध अधिनियम (Prohibition of Ragging Committee and Prohibition of Ragging Act) 4.8 युवा कल्याण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग (Department of Youth Welfare & Cultural Activities) 4.9 सङ्गणक प्रशिक्षण केन्द्र (Computer Training Center)	**9-20**

	4.10 नवकुण्डीय यज्ञशाला (प्रयोगशाला) Navkundiya Yagyashala (Laboratory) 4.11 योगशाला (Yogashala) 4.12 छात्रावास एवं प्रवेश नियम (Hostel and Admission Rules) 4.13 यातायात सुविधा (Transport Facility) 4.14 भोजनालय सुविधा (Mess Facility) 4.15 आन्तरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee)	
5.	छात्रवृत्ति (Scholarship)	20-21
6.	विविध शिक्षण कार्यक्रम प्रवेश योग्यता एवं शुल्क विवरण (Various Teaching Programmes Admission Eligibility & Fee Details)	21-22
7.	सीटों की संख्या एवं प्रवेश प्रक्रिया (Number of Seats & Admission process) 7.1 प्रवेश समय सारणी (Admission Schedule) 7.2 प्रवेश लेते समय आवश्यक प्रमाण-पत्र (Certificate required at the time of taking Admission) 7.3 विशेष निर्देश (Special Instructions) 7.4 शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ एवं सूचनाएं (Commencement of Academic Session & Notification)	22-29
8.	8.1 शास्त्री प्रतिष्ठा (स्नातक ऑनर्स) कार्यक्रमों (एकल प्रमुख) के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क Curriculum and Credit Framework for Shastri Prestige (Undergraduate Honours) Programmes (Single Major) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार (विशेष) According to National Education Policy 2020 (Special) 8.2 आचार्य (एम.ए.) Acharya (M.A.) 8.3 विद्यावारिधि (Ph.D.) 8.4 सेतु परीक्षा (Setu Exam) 8.5 डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Course)	29-35
9.	आवेदन पत्र एवं अनुसंलग्नक (Application Form and Annexure)	36-47

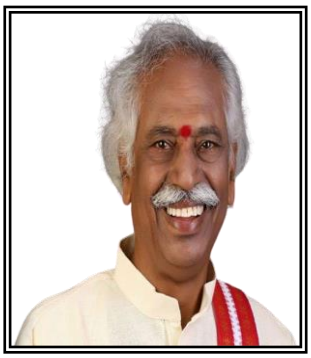

कुलाधिपति संदेश

यह अत्यन्त हर्ष और गौरव का विषय है कि हरियाणा सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए दृढ प्रतिज्ञ है। इस संकल्प की पूर्ति हेतु 2018 में हरियाणा सरकार ने कपिष्ठल नगर (कैथल) के मून्दड़ी नामक गाँव में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। ज्ञान-विज्ञान के संरक्षण, पोषण और पल्लवन तथा संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कृतसंकल्पित यह विश्वविद्यालय, न केवल हरियाणा प्रदेश को बल्कि सम्पूर्ण भारत देश को गौरवान्वित करेगा। ऐतिहासिक शहर कपिष्ठल (कैथल) में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सभी कैथलवासियों को बधाई।

हम विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हैं कि यह विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और अपने विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त करे।

महामहिम राज्यपाल श्री बण्डारू दत्तात्रेय

कुलाधिपति

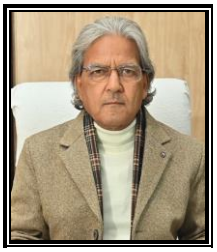

कुलपति सन्देश

संस्कृत भारत के मूल तत्त्व के रूप में भारतीय संस्कृति की संरक्षक और सम्पोषक है। संस्कृत के बिना सम्पूर्ण भारत की कल्पना आकाश में पुष्प के समान असम्भव है। इसीलिए कहा जाता है, "भारत की प्रतिष्ठा दो कारणों से हैं, संस्कृत और संस्कृति," अर्थात् भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति से पोषित होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संस्कृत ही भारत की आधारशिला है । अत: भारत के सम्पूर्ण इतिहास का, उसके सभी रूपों का ज्ञान केवल संस्कृत एवं संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय वैदिक सभ्यता एवं भारतीय संस्कृति का विकास सरस्वती नदी के तट पर हुआ। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हरियाणा राज्य और इस राज्य का कपिष्ठल शहर बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रागैतिहासिक ऋषि कपिल की तपोभूमि है। भारतीय संस्कृति को तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं :- पहला भारतीय वैदिक काल, दूसरा रामायण काल और तीसरा महाभारत काल। इस कपिष्ठल का भी इन तीन खण्डों से सीधा सम्बन्ध है। वैदिक काल में कपिष्ठल का वर्णन वैदिक सभ्यता में मिलता है तथा कठ-कपिष्ठल शाखा कृष्ण यजुर्वेद में भी मिलती है। यदि हम रामायण काल की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इस कपिष्ठल का सीधा सम्बन्ध लवकुश के जन्म से है। यहाँ आज भी लवकुश तीर्थ नामक धार्मिक स्थल है। इसका सम्बन्ध महाभारत काल से सर्वविदित है। इसी कुरुक्षेत्र में महाभारत का अभूतपूर्व युद्ध हुआ था। अड़तालीस कोस का यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज पर प्रकट हुए थे। अत: कपिष्ठल नामक इस विशिष्ट स्थान का भारतीय संस्कृति में अभूतपूर्व स्थान है। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने संस्कृत और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए 2018 में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया और यह संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत ही कम समय में भारत में प्रसिद्ध हो गया । उन सभी लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं। यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि संस्कृत के प्रचार-प्रसार में निरन्तर लगा रहने वाला यह विश्वविद्यालय तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा है। यहाँ न केवल वेद, उपनिषद्, महाभारत, दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों का अध्यापन होता है बल्कि सभी भारतीय युवाओं को योग, कम्प्यूटर आदि आधुनिक विषयों के अध्ययन का भी अवसर प्राप्त है जिससे विद्यार्थियों का सर्वाङ्गीण विकास होता है । इससे प्राचीन भारतीय ज्ञान निधि का संरक्षण भी होगा । यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा।

इसी प्रकार, मैं कामना करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान और विज्ञान परम्परा के अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में, भारतीय संस्कृति और संस्कृत का प्रचार, प्रसार, संरक्षण और संवर्धन करता रहे और न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत को सांस्कृतिक मार्गदर्शन प्रदान करता रहे।

प्रो० रमेश चन्द्र भारद्वाज
कुलपति

कुलसचिव का अभिमत

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर रूप से प्रयत्नशील है । यह विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हुए अपनी समस्त शैक्षणिक गतिविधियों को संस्कृतभाषा के माध्यम से सम्पन्न कराता है। विश्वविद्यालय की यज्ञशाला विविध प्रकार के यज्ञों, अनुष्ठानों एवं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सतत प्रदीप्त रहती है। इस विश्वविद्यालय में शास्त्री, आचार्य एवं एम.ए. पाठ्यक्रम के साथ-साथ ज्योतिष, वास्तु, कर्मकाण्ड, संस्कृत भाषा दक्षता एवं संगणक प्रयोग सम्बन्धी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से अध्ययन-अध्यापन में सम्मिलित किया गया है। संस्कृत शिक्षण के साथ-साथ संस्कृत सम्भाषण पर भी विशेष बल दिया जाता है ।

भारतीय ज्ञान-परम्परा के समुचित संरक्षण एवं सम्वर्धन हेतु आवश्यक संसाधनों को प्राध्यापकों, गवेषकों एवं विद्यार्थियों को विशेष रूप से सुलभ कराना हमारा परम उद्देश्य है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियाँ, संस्कृत एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार का कार्य सहजता से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के नवनिर्माण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अलग अनुभाग कार्यरत है। ज्ञान अवगाहन की विशिष्ट परम्परा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए नियमित रुप से व्याख्यानमालाओं, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

विश्वविद्यालय में शोध को बढावा देने के लिए चार शोध-पीठों की स्थापना की गई है । महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय है। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का देश-विदेश में विस्तार करने हेतु अनेक प्रकार के सार्थक प्रयास पारस्परिक सहयोग से निरन्तर चल रहे हैं।

डॉ. बृजपाल

कुलसचिव

विश्वविद्यालय के अधिकारी (Officers of the University)

1.	कुलाधिपति	श्री बण्डारू दत्तात्रेय (महामहिम राज्यपाल, हरियाणा)
2.	कुलपति	प्रो. रमेश चन्द्र भारद्वाज
3.	कुलसचिव	डॉ. बृजपाल
4.	कुलानुशासक	डॉ. जगत नारायण
5.	छात्रावास मुख्य संरक्षक	डॉ. रामानन्द मिश्र
6.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	डॉ. जगत नारायण
7.	शैक्षणिक अधिष्ठाता	प्रो. सत्यप्रकाश दुबे
8.	अधिष्ठाता, महाविद्यालय	डॉ. बृजपाल (कुलसचिव)
9.	अधिष्ठाता, अनुसंधान	प्रो. सत्यप्रकाश दुबे
10.	निदेशक, IQAC	प्रो. भाग सिंह बोदला
11.	परीक्षा नियन्त्रक/पुस्तकालय प्रभारी	प्रो. भाग सिंह बोदला
12.	वित्त अधिकारी	श्री कृष्ण कुमार

सङ्काय अधिष्ठाता/ विभागाध्यक्ष/अन्य अधिकारी

	संकाय	अधिष्ठाता
1.	प्रो. सत्यप्रकाश दुबे	शैक्षणिक
2.	डॉ. जगत नारायण (सह आचार्य)	साहित्यिक संस्कृति संकाय
3.	डॉ. सुरेन्द्र पाल वत्स (सह आचार्य)	वेद-वेदाङ्ग
4.	डॉ. जगत नारायण (सह आचार्य)	दर्शन
5.	डॉ. जगत नारायण (सह आचार्य)	सामाजिक विज्ञान

	विभाग	विभागाध्यक्ष /प्रभारी	दूरभाष
1.	साहित्य	डॉ. जगत नारायण	99960-41064
2.	व्याकरण	डॉ. सुरेन्द्र पाल वत्स	98963-35373
3.	ज्योतिष	डॉ.नरेश शर्मा	70828-11234
4.	वेद	डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र	76312-74367
5.	हिन्दू अध्ययन	डॉ. कृष्णचन्द्र पाण्डे	98103-73278
6.	योग	डॉ. देवेन्द्र सिंह (प्रभारी)	99118-72115
7.	दर्शन	डॉ. विनय गोपाल त्रिपाठी (प्रभारी)	80767-23202
8.	धर्मशास्त्र	डॉ. कुलदीप सिंह (प्रभारी)	92483-00000

गैर-शैक्षणिक अधिकारी

1.	उपकुलसचिव	डॉ. अमित वशिष्ठ
2.	सहायक कुलसचिव	श्री हरवंश लाल
3.	अधीक्षक (शैक्षणिक, पंजीकरण एवं क्रय)	श्री भूषण कुमार
4.	अधीक्षक (वित्त, छात्रवृत्ति एवं स्टोर)	श्री सुभाष चन्द

1. विश्वविद्यालय के बारे में
(About the University)

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मून्दड़ी (मौनधारा), कैथल (कपिष्ठल), हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2018 में स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय है । यह कैथल से 8 कि.मी. पूर्व, राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 130 कि.मी., राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 164 कि.मी., पेहोवा से 30 कि.मी. और कुरुक्षेत्र से 45 कि.मी. दूर स्थित है । विश्वविद्यालय वर्तमान में अपने दो अस्थायी परिसरों में संचालित हो रहा है: (1) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, कैथल और (2) कैथल ढाण्ड मार्ग पर, कैथल से टीक-10 कि.मी. दूर । ग्राम मून्दड़ी (कैथल) में विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इस विश्वविद्यालय का नाम "महर्षि वाल्मीकि" के नाम पर रखा गया है, जो "रामायण" के रचनाकार थे और जिन्हें संस्कृत भाषा के "आदिकवि" के रूप में भी जाना जाता है । ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम, मून्दड़ी गाँव में स्थित था। विश्वविद्यालय का उद्देश्य आधुनिक विश्व में संस्कृत शिक्षण और अनुसन्धान के माध्यम से संस्कृत और इसके समृद्ध ज्ञान को पुनर्जीवित करना है । इसके अतिरिक्त शास्त्र परम्परा जैसे- वेदों, भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति, इतिहास और भारतीय दर्शन सम्बद्ध ज्ञान-विज्ञान का संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय, कुलपति प्रो. रमेश चंद्र भारद्वाज के कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहा है । यह विश्वविद्यालय हरियाणा के सभी गुरुकुलों और संस्कृत महाविद्यालयों को साथ लेकर न केवल संस्कृत भाषा बल्कि भारतीय पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण और प्रचार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है । विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुरुकुल परम्परा को सहयोग, समर्थन और पोषण प्रदान करने हेतु भी कटिबद्ध है । विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को आधुनिक और साथ ही पारम्परिक, मूल्य वर्धित और कौशल-आधारित दोनों पाठ्यक्रमों पर जोर देने के साथ व्यवस्थित विधि से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है । संस्कृत व्याकरण और साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर के अतिरिक्त , विश्वविद्यालय ने वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, हिन्दू अध्ययन, धर्मशास्त्र और योग में भी डिग्री पाठ्यक्रम शुरु किया है । योग, कर्मकाण्ड, ज्योतिष एवं वास्तु में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरु किए गए हैं । विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर नागरिक बनाना और भारत को वैदिक काल की तरह विश्वगुरु रूप में पुनः प्रतिष्ठा दिलाना है । अतः मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान करना भी है।

विश्वविद्यालय दृष्टि, ध्येय एवं उद्देश्य

(University Vision, Mission & Objectives)

1.1 दृष्टि (Vision)

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा की गरिमा की संस्थापना के लिए महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मौनधारा (मून्दडी),कपिष्ठलम् (कैथल) का विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में विकास ।

1.2 ध्येय (Mission)

- संस्कृत विद्या की समग्र शाखाओं का सर्वाङ्गीण विकास तथा आधुनिक प्रणालियों के द्वारा संस्कृत साधनों की उपलब्धि।
- संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में परस्पर सांस्कृतिक अन्त: सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण व अनुसन्धान की व्यवस्था करते हुए भाषिक विविधता तथा सांस्कृतिक बहुलता का उन्नयन करना ।
- संस्कृत के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं की ज्ञान प्रणालियों में दार्शनिक एवं वैज्ञानिक तत्त्वों का संरक्षण एवं समुन्नयन तथा इन भारतीय ज्ञान-परम्पराओं का सांस्कृतिक धरोहर के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

1.3 उद्देश्य (Objectives)

संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य संस्कृत विद्या का आधुनिक दृष्टिकोण से प्रचार-प्रसार, संरक्षण एवं प्रोत्साहन तथा निम्नलिखित उद्देश्यों का भी पालन करना :-

i) संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में अनुसन्धान, प्रोत्साहन तथा संयोजन करना है, साथ ही शिक्षक-प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपि विज्ञान आदि को भी संरक्षण देना, जिससे पाठमूलक प्रासंगिक विषयों में आधुनिक शोध के निष्कर्ष के साथ सम्बन्ध स्पष्ट किया जा सके तथा इनका प्रकाशन हो सके ।

ii) विशेषतः हरियाणा के समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना ।

iii) संस्कृत संवर्धन के लिए हरियाणा राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को लागू करना ।

iv) शोध एवं ज्ञान के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए समुचित व्यवस्थाओं को उपलब्ध करना ।

v) प्राचीन-अर्वाचीन अध्ययन एवं विस्तारित योजनाएँ जो समाज के विकास में योगदान देती हों, उनका उत्तरदायित्व लेना ।

vi) पालि, प्राकृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना ।

vii) प्राच्य विद्याओं की दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना ।

viii) भारतीय ज्ञान-परम्परा में शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य करना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त उन सभी उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का निष्पादन करना जो इस संस्कृत विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो ।

2. संकाय एवं विभाग (Faculties and Departments)

क्रं.सं.	संकाय	विभाग	शास्त्री (बी.ए.)	आचार्य (एम. ए.)	डिप्लोमा
1.	वेद-वेदाङ्ग संकाय	वेद	वेद	वेद	वेद
		ज्योतिष	ज्योतिष	ज्योतिष	ज्योतिष
		व्याकरण	व्याकरण	व्याकरण	कर्मकाण्ड (पौरोहित्य)
		धर्मशास्त्र	धर्मशास्त्र	धर्मशास्त्र	वैदिक गणित
		-	-	-	वास्तु
2.	साहित्यिक - संस्कृति संकाय	साहित्य	साहित्य	साहित्य	संस्कृत भाषा दक्षता
					-
		हिन्दू अध्ययन	-	हिन्दू अध्ययन (एम. ए.)	-
					-
3.	दर्शन संकाय	दर्शन	दर्शन	दर्शन	-
		योग	योग (बी.ए.)	योग (एम. ए.)	योग (एकवर्षीय)
4.	सामाजिक विज्ञान संकाय	-	हिन्दी	-	-
		-	अंग्रेजी	-	-
		-	इतिहास	-	-
		-	राजनीति	-	-

नोट-: विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में कम से कम 05 छात्र होने पर ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है । पाठ्यक्रम संचालित न होने पर नामांकित छात्र का शुल्क वापिस किया जाएगा अथवा विषय परिवर्तन में छात्र का नामाङ्कन शुल्क अन्य विषय के लिए समायोजित किया जा सकता है ।

वेद-वेदाङ्ग संकाय

वेदवेदाङ्ग सङ्काय के अन्तर्गत वेद विभाग, व्याकरण विभाग, ज्योतिष विभाग एवं धर्मशास्त्र विभाग सम्मिलित हैं । वेद विभाग में वैदिक श्रौत, स्मार्त कर्मों के साथ नित्य-नैमित्तिक सकल धार्मिक क्रिया कलापों का अध्ययन कराया जाता है । व्याकरण विभाग में संस्कृतभाषा के शुद्ध परिज्ञान के लिये विविध मानक ग्रंथों का अध्ययन एवं अनुसन्धान कराया जाता है। ज्योतिषविभाग में ज्योतिष के तीनों स्कन्धों सिद्धान्त, संहिता एवं होरा का प्रामाणिक अध्ययन तथा शोध कराया जाता है। धर्म एवं अधर्म का निर्णय पूर्णत: वेदाश्रित होने से सभी संस्कारों, धार्मिक कृत्यों, सम्बन्ध मूलक अधिकार आदि विषयों का निर्णायक धर्मशास्त्र विभाग भी इसी संकाय के अन्तर्गत आता है, जिसमें विविध स्मृतियों के विशिष्ट विश्लेषणों द्वारा धार्मिक आचारों के सभी पक्षों का शास्त्रीय अध्ययन कराया जाता है। समाज के साथ साक्षात्सम्बद्ध होने के कारण ज्योतिष एवं वेद विभाग में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों द्वारा जिज्ञासु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है । उपर्युक्त सभी विभागों में आचार्यों द्वारा शास्त्री, आचार्य एवं डिप्लोमा कक्षाओं के अध्यापन के साथ शोध की सूक्ष्मदृष्टि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पारम्परिक अध्ययन के साथ तुलनात्मक शास्त्रीय सम्बोध के लिए अनेकविध शैक्षिक प्रकल्पों का विशिष्ट आयोजन किया जाता है।

संकाय में छात्रों के विशेष ज्ञानवर्धन के लिए समय-समय पर विशिष्ट व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार वेदवेदांग संकाय अपने संकल्पानुरूप लक्ष्य को निरन्तर पूर्ण कर रहा है।

वेद-विभाग

ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से वेद विश्व की सबसे प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण ज्ञाननिधि है। समस्त मानव जाति के सर्वाङ्गीण, सार्वकालिक विकास और संवृद्धि के लिए वेद मार्गदर्शक हैं। विश्व की संरचना, सम्पोषण एवं प्रगति के सभी विधानों का वर्णन वेदों में निहित है। शोषणरहित और समतामूलक समाज की स्थापना का मार्गदर्शन वेद करता है। मानव समाज में प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर जीवन को गतिशील बनाने की शैली वेदों की देन है। वस्तुतः वेद जीवन दर्शन हैं। सनातन धर्मावलम्बी वेदों का ही अनुगमन करते हैं । वेद अपौरुषेय और अमर हैं। वेद मानव चरित्र को समुज्ज्वल बनाकर मानव में देवत्व की स्थापना करते हैं। आधुनिक युग में वेदाध्ययन की उपयोगिता बहुत अधिक है।

प्राचीन काल से ही मनुष्यों के लिए इहलौकिक तथा पारलौकिक मनोरथों की पूर्ति का साधन श्रौतयाग एवं स्मार्तयाग माना गया है। श्रौतयागों का आधार संहिताओं के मन्त्र हैं, किन्तु केवल मन्त्रों की जानकारी मात्र से ही कोई याग सम्पन्न नहीं हो सकता, इसके लिए अनुष्ठान की पद्धति का भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। वेद विभाग में छात्रों को पूर्ण ज्ञान एवं विविध कर्मकाण्डों से सम्बन्धित अनुष्ठानों की प्रक्रिया के सूक्ष्मतम परिचय के साथ अध्ययन-अध्यापन कराया जाता है। कर्मकाण्ड के अध्ययन तथा यज्ञ-अनुष्ठान से समस्त जन समुदाय का कल्याण होता है। ईश्वर की आराधाना, साधना, सस्वरपाठ, रुद्राष्टाध्यायी, कुण्डमण्डपनिर्माण, व्रत, संस्कार, प्रतिष्ठा, शान्ति, मुहूर्त, अनुष्ठानादि की जानकारी के लिये यह विषय अत्यन्त ज्ञानवर्धक है । कर्मकाण्ड से आस्तिक जन सम्पूर्ण मनोभिलषित प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह विभाग भारतीय ज्ञान-परम्परा से परिपूर्ण सामाजिक गतिविधियों तथा रीति-रिवाजों को सफल एवं शास्त्र सम्मत बनाने में छात्रों को योग्य बनाता है, साथ ही साथ उन्हें आचार, व्यवहार व शिष्टाचार के सनातन तथ्यों से परिचित कराता है।

ज्योतिष विभाग

ज्योतिषामयनं चक्षुः अर्थात् ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है । ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति, युति, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहणादि गणितीय पदार्थों के वेध के द्वारा दृक्सिद्धि के कारण यह शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि प्राप्त करता है। इस शास्त्र के मुख्य रूप से तीन विभाग सिद्धान्त, संहिता और होरा के रूप में किए गए हैं।

ज्योतिष विभाग द्वारा डिप्लोमा, शास्त्री, आचार्य एवं विद्यावारिधि स्तर के पाठ्यक्रमों का शिक्षण प्रदान किया जाता है। जन-सामान्य को ज्योतिष शास्त्र के परम्परागत ज्ञान से परिचित कराने के लिए इस विभाग के द्वारा बाह्य विद्वानों के विशिष्ट व्याख्यान भी कराये जाते हैं।

व्याकरण विभाग

मुखं व्याकरणं स्मृतम् अर्थात् व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है । संस्कृत वाङ्मय के परिशुद्ध ज्ञान एवं अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत व्याकरण भाषा विज्ञान की दृष्टि से अतुलनीय है। विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत सबसे परिपूर्ण एवं उन्नत भाषा मानी जाती है, जिसका मूल कारण इसका व्याकरण सम्बन्धी पक्ष है। अपनी इस विशेषता के कारण ही यह वेद का सर्वप्रमुख अङ्ग माना जाता है। व्याकरण शास्त्र का बृहद् इतिहास है किन्तु महामुनि पाणिनि और उनके द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी ही इसका केन्द्र बिन्दु है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 3995 सूत्रों की रचना कर भाषा के नियमों को व्यवस्थित किया, जिसमें वाक्यों में पदों का संकलन, पदों का प्रकृति-प्रत्यय विभाग एवं पदों की रचना आदि प्रमुख तत्व हैं। इन नियमों की पूर्ति के लिये धातुपाठ, गणपाठ तथा उणादिसूत्र भी पाणिनि ने बनाये। सूत्रों में उक्त, अनुक्त एवं द्विरुक्त विषयों का विचार कर कात्यायन ने वार्त्तिक की रचना की । बाद में महामुनि पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना कर संस्कृत व्याकरण को पूर्णता प्रदान की । इन्हीं तीनों आचार्यों को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। व्याकरण में इनके द्वारा रचित शास्त्रों का अनिवार्यतः अध्ययन किया जाता है ।

धर्मशास्त्र-विभाग

धर्मशास्त्र का प्रणयन ऋषियों द्वारा धार्मिक आचार, व्यवहार, प्रायश्चित, भक्ति, इष्टपूर्ति, नैतिकमूल्यबोध, सामाजिक तथा वैयक्तिक कर्त्तव्याकर्त्तव्य की व्यवस्था हेतु किया गया है । वेदविहित कर्मों के सम्पादन के लिए धर्मशास्त्र अङ्गभूत है। इस शास्त्र में मनु याज्ञवल्क्य, पराशर, पारस्कर, गौतम, बृहस्पति, बौधायन, जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर, माधवाचार्य कौटिल्य प्रभृति सूत्र, स्मृति, भाष्य, तात्कालिक निबन्धात्मक प्राचीनग्रन्थों के अध्ययन के साथ ज्वलन्त युगोपयोगी एवं आधुनिकता के साथ सामञ्जस्य रखने वाले विषयों जैसे स्त्री-अधिकार, हिन्दू विधि, संस्कार, नैतिकशिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार, राजधर्म, दण्ड, अपराध आदि पर अध्ययन-अध्यापन किया जाता है, जिससे सामाजिक विधि-व्यवस्थाओं के उन्नत दर्शनों का अध्ययन और मानवीय मूल्यों के प्रणयन के साथ-साथ आत्मिक विकास होता है।

साहित्यिक-संस्कृति संकाय

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का साहित्यिक एवं संस्कृति संकाय भारतीय वाङ्मय एवं संस्कृति के अध्ययन का एक प्रमुख केन्द्र है। इस संकाय के अन्तर्गत साहित्य एवं हिन्दू अध्ययन विभाग विद्यमान हैं।

इस संकाय में साहित्य विभाग के अन्तर्गत शास्त्री प्रतिष्ठा, आचार्य एवं पीएच.डी. उपाधियों हेतु विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। यह विभाग संस्कृत साहित्य एवं काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र के अध्ययन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। साहित्य का पाठ्यक्रम उसी प्रकार बनाया गया है, जिस के द्वारा प्रत्येक काव्य काव्य-शास्त्र तथा नाट्य - नाट्यशास्त्र का सम्यक् अध्ययन कर सकें।

साहित्य विभाग

निखिल विश्व साहित्य और साहित्यशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र, कला और कलाशास्त्र, संगीत और संगीतशास्त्र, नाट्य और नाट्यशास्त्र आदि इसके अन्तर्गत होने के कारण लोकजीवन में यह साहित्यशास्त्र अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विश्व वाङ्मय में 'संस्कृत' शब्द के उच्चारण मात्र से सामाजिक शीघ्र ही व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि का तथा रामायण, महाभारत, अभिज्ञानशाकुन्तल, मेघदूत आदि का स्मरण करता है। इससे संस्कृत साहित्य की महिमा और लोकप्रियता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तथापि संस्कृत साहित्य में काव्य-काव्यशास्त्र, अलंकार-अलंकारशास्त्र, नाट्य-नाट्यशास्त्र आदि भागों को विशेष रूप से साहित्य विभाग के पाठ्यक्रम में रखा गया है। जैसे काव्यभाग में कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, श्रीहर्ष, बाण आदि के क्रमशः मेघदूत, कुमारसम्भव आदि उत्तररामचरित किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधीयचरित कादम्बरी आदि काव्य काव्यशास्त्र में षट् प्रस्थान के अन्तर्गत प्रमुखरूप से भरतमुनि, अभिनवगुप्त, वामन, कुन्तक, आनदवर्धन, क्षेमेन्द्र एवं तत्तत् पक्ष- समर्थक मम्मट, भामह, विश्वनाथ आदि को रखा गया है। अतः इस विभाग में इन सभी से सम्बन्धित ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन होता है ।

हिन्दू अध्ययन विभाग

प्राचीन ऋषि, मुनियों एवं संतों ने शाश्वत आध्यात्मिक सत्य का सहज बोध किया। उन्होंने उन मूल सिद्धांतों की कल्पना की जो दुनिया को नियन्त्रित करते हैं जिससे प्रत्येक जीवित प्राणी की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है जिसे धर्म के रूप में जाना जाता है । मूल और शाश्वत सिद्धान्त, जिन्हें सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, भारतीय सभ्यता की शक्तिशाली ज्ञान परम्परा का अध्ययन हिन्दू अध्ययन का मूल है। हिन्दू अध्ययन की विभिन्न धाराएँ भारतीय संस्कृति, विचार, और आध्यात्मिकता के एक ही जीवित वृक्ष की शाखाओं की तरह हैं। इस पाठ्यक्रम की परिकल्पना व संरचना विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। इस पाठ्यक्रम को हिन्दुओं की समृद्ध आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रणाली को समझने के लिए निर्मित किया गया है । यह पाठ्यक्रम आध्यात्मिकता, पारलौकिकता,नैतिकता व वैज्ञानिकता का मूल है ।

दर्शन सङ्काय

दर्शन संकाय के अन्तर्गत दर्शन एवं योग विभाग समाहित हैं । भारतीय दर्शन एवं योग की विविध परम्पराओं का अध्ययन-अध्यापन इस संकाय के अन्तर्गत सम्पन्न होता है। वस्तुतः भारतीय दार्शनिक विधाओं के सम्बन्ध में गहन अनुसन्धान और समाजोपयोगी ज्ञान-निर्माण में इसके विभिन्न विभाग सतत प्रयत्नशील हैं ।

दर्शन विभाग

विश्वविद्यालय का दर्शन विभाग दर्शनशास्त्र के सभी आयामों का अध्ययन संचालित करता है। दर्शन शास्त्र का लक्ष्य निःश्रेयस् की प्राप्ति है। व्यक्ति का परम-लक्ष्य भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी। दर्शनशास्त्र दोनों मार्गों का औचित्य बतलाते हुए कर्तव्याकर्तव्य, शुभाशुभ का दिशाबोध कराता है । अतः दर्शनशास्त्र व्यक्ति के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है ।

भारतीय दर्शन का आरम्भ वेदों से होता है, इसका उत्कर्ष उपनिषदों में मिलता है । कालान्तर में यथार्थ तत्त्व को अलग-अलग विश्लेषण के आधार पर समझाने की प्रक्रिया में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त- इन षड्दर्शनों का एवं चार्वाक, जैन, बौद्ध, शैवादि दर्शन का अभ्युदय हुआ । इन सभी दर्शनों ने अपने-अपने विचारों को सूत्र-शैली में प्रस्तुत किया, जो तत्तत् दर्शनों के सूत्र-ग्रन्थों के नाम, जैसे- सांख्यसूत्र, योगसूत्र, न्यायसूत्र, मीमांसासूत्र , वैशैषिकसूत्र आदि से प्रसिद्ध हैं । दर्शन विषय में इन सभी दर्शनों का अध्ययन उनके आधारभूत सूत्रग्रन्थों एवं भाष्यग्रन्थों के माध्यम से करवाया जाता है । साथ ही समकालीन-दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन का संक्षिप्त-ज्ञान भी दिया जाता है।

योग-विभाग

योग विभाग के द्वारा सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों विधाओं का अध्ययन कराया जा रहा है । योग का वर्णन वेदों व उपनिषदों में प्राप्त है । भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को व्यवस्थित रूप महर्षि पतञ्जलि जी ने योग सूत्र की रचना करके दिया । योग का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति एवं त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाना है । योग में मुख्यतः दो विधाएँ प्रचलित है अष्टांग योग व हठयोग । अष्टाङ्ग योग, योग के दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करता है । महर्षि पतञ्जलि द्वारा रचित योग-सूत्र में निर्दिष्ट मार्गों पर चल कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है । वहीं हठयोग परम्परा हठयोगियों द्वारा निर्दिष्ट है इसमें शारीरिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है । हठयोगियों की दृष्टि है कि स्वस्थ शरीर के साथ ही सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है । इसलिए हठयोगियों ने षड्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि का विस्तृत वर्णन किया है। आज पूरा विश्व योग का अभ्यास कर रहा है । इसलिए योग के क्षेत्र में रोजगार की भी असीम सम्भावनाएं हैं । योग विभाग के अनेक विद्यार्थी राज्य-स्तरीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजय हासिल कर चुके हैं । वर्तमान के भाग-दौड़ भरे जीवन में योग संजीवनी का कार्य करता है । योग के माध्यम से स्वास्थ्य, रोजगार व आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक विज्ञान संकाय

सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक कक्षा में पढ़ाये जाने वाले आधुनिक विषयों को पढ़ाया जाता है। छात्रों में मातृभाषा हिन्दी के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हिन्दी के लेखकों के गद्य एवं काव्य का अध्यापन कार्य किया जाता है। इसके साथ ही हिन्दी के व्याकरण का अध्यापन स्नातक स्तर पर होता है। अंग्रेजी विषय में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एवं संगणक का प्रयोग, मानवाधिकार एवं मानव मूल्य शिक्षा का भी

अध्यापन स्नातक स्तर पर इस विभाग द्वारा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक विषय के रूप में इतिहास एवं राजनीति शास्त्र का अध्यापन कराया जाता है।

छात्रकल्याण सङ्काय

छात्र कल्याण सङ्काय छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु निरन्तर कार्य करते हुए उन की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में अनवरत प्रयत्न करता है। विभिन्न अवसरों पर अनेक प्रकार की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। रक्तदान शिविर इत्यादि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्रों में सामाजिक भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रतियोगिताओं में छात्रों को सहभागिता के लिये प्रेरित करने का कार्य इस संकाय के माध्यम से किया जाता है। छात्र कल्याण संकाय विश्वविद्यालय के छात्र - छात्राओं में नैतिक मूल्यों के निवेश में महती भूमिका का सम्पादन करता है। छात्रों को अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहते हुये अपने सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं अनुपालन के लिये प्रेरित करता है। समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा नाट्यमंचन, छात्र-संसद, कविसम्मेलन, गीतापाठ आदि का आयोजन इस संकाय द्वारा किया जाता है। छात्रों के हित संवर्धन के लिये यह संकाय सतत प्रयत्नशील रहता है। संस्कृत सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा, स्वच्छता अभियान, सतर्कता, जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मातृभाषा दिवस और अन्य कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता भी संकाय द्वारा सुनिश्चित की जाती है। छात्रों में सांस्कृतिक व शास्त्रीय प्रतियोगिताओं के प्रति रुचि जागृत करने के लिये छात्र कल्याण सङ्काय सतत प्रयासरत रहता है।

3. विश्वविद्यालय का शोध एवं प्रकाशन विभाग

(Research & Publication Department of University)

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध एवं प्रकाशन विभाग स्थापित है । जिसके अन्तर्गत पुस्तक प्रकाशन, शोध पत्रिका, महर्षि प्रभा मासिक ई-पत्रिका प्रकाशित की जाती है । जिसमें विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ एवं प्रगति विवरण के साथ-साथ विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवम् अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं द्वारा ज्ञान विज्ञान परक आलेख प्रकाशित किए जाते हैं । इसमें विशेष रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए विद्यार्थियों एवं समाज के लिए प्रकाशन किया जाता है। जो निःशुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mvsu.ac.in पर दिए गए लिंक (https://mvsu.ac.in/NewsTender/37) से डाउनलोड की जा सकती हैं ।

विश्वविद्यालय के अन्य शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र

(Other research & training centers of the university)

विश्वविद्यालय में शोध क्षेत्र में नवाचार हेतु चार शोध केन्द्र कार्यरत हैं-

3.1 महर्षि वाल्मीकि शोध पीठ- महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में महर्षि वाल्मीकि शोध पीठ की स्थापना सत्र 2022-23 में दिनांक 08 अक्तूबर 2022 को माननीय कुलपति प्रो. रमेश चन्द्र भारद्वाज की अध्यक्षता एवं मुख्यातिथि श्री कृष्ण

कुमार बेदी, राजनैतिक सलाहकार, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया । जिसका उद्देश्य महर्षि वाल्मीकि के हस्त लिखित रामायण के ज्ञान की प्रेरणाओं को जन-जन तक पहुँचाना है ।

3.2 **कठ-कपिष्ठल संहिता शोध केन्द्र-** विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में कठ - कपिष्ठल संहिता शोध केन्द्र की स्थापना की गई है । 17 मार्च 2023 को कठ - कपिष्ठल संहिता का उद्घाटन माननीय कुलपति प्रो. रमेश चन्द्र भारद्वाज की अध्यक्षता में मुख्यातिथि श्री भारत भूषण भारती, राजनैतिक सलाहकार, माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा सरकार द्वारा किया गया । ध्यातव्य है कठ - कपिष्ठल संहिता का उद्भव एवं उद्गम कपिष्ठल वर्तमान नाम कैथल में हुआ।

3.3 **भारतीय ज्ञान-परम्परा शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र-** भारत एवं हरियाणा सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि भारतीय ज्ञान-परम्परा सम्पूर्ण विश्व तक प्रसारित एवं अग्रसरित होकर भारत को नई पहचान दे जिससे भारत अपनी ज्ञान-परम्परा के द्वारा पुनः विश्वगुरु के पथ पर अधिष्ठित हो । भारतीय ज्ञान-परम्परा शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना शैक्षणिक सत्र 2022-23 में तथा उद्घाटन समारोह 21 मार्च 2023 को प्रो. रमेश चन्द्र भारद्वाज, माननीय कुलपति, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल की अध्यक्षता में मुख्यातिथि प्रो. सन्निधान सुदर्शन शर्मा, निदेशक, अशोक सिंघल वैदिक शोध संस्थान, गुरुग्राम के कर कमलों द्वारा किया गया । इस केन्द्र का उद्देश्य भारतीय ज्ञान-परम्परा से प्रत्येक भारतीय में गौरवता का अनुभव करवाकर उनके द्वारा भारत को प्रगतिपथ की ओर दृढ़ता से अग्रसर करने में सहयोग करवाना तथा इस बात पर गर्वानुभूति करवाना है । इस शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा भारतीय ज्ञान-परम्परा सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री निर्माण हेतु त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सम्पूर्ण भारत से आए हुए शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के आचार्यों के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण करवाये गए । इन पाठ्यक्रमों का उपयोग समाज के उन लोगों के लिए जो ज्ञान-परम्परा विषयक ज्ञान से परिचित होना चाहते हैं उन सभी की ज्ञान वृद्धि हेतु उपयोग किया जाएगा ।

3.4 **सरस्वती सभ्यता शोध केन्द्र-** सरस्वती सभ्यता शोध केन्द्र की स्थापना विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में तथा उद्घाटन समारोह 10 अक्तूबर 2022 को प्रो. रमेश चन्द्र भारद्वाज, माननीय कुलपति, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल की अध्यक्षता एवं मुख्यातिथि महामहिम राज्यपाल श्री बण्डारू दत्तात्रेय, हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया । इस केन्द्र का उद्देश्य हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर विकसित वैदिक सभ्यता का परिचय जन सामान्य को कराना है । सरस्वती सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के साहित्यिक एवं पुरातात्विक सन्दर्भ के साथ अनुसन्धान करना है।

4. विश्वविद्यालय के अन्य महत्वपूर्ण विभाग एवं परिषद्

(Other Important Departments and Councils of the University)

4.1 **पुस्तकालय एवं पाण्डुलिपि संग्रह केन्द्र** (Library and Manuscript Collection Center)- विश्वविद्यालय में सुसमृद्ध तथा विशाल ग्रन्थालय की सुविधा विद्यमान है । इनमें प्राच्य विद्या तथा संस्कृत शास्त्रों जैसे वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद्, योग, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, दर्शन, मनोविज्ञान, हिन्दू अध्ययन आदि दुर्लभ ग्रन्थ उपलब्ध हैं । नियमित रूप से शोध-पत्रिकाएं, सामान्य पत्रिकाएं तथा समाचार पत्रों की उपलब्धता छात्रों, अध्यापकों एवं शोधार्थियों की नवीन

ज्ञान सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं । विश्वविद्यालय के जगदीशपुरा अम्बेडकर परिसर एवं नूतन टीक परिसर दोनों में ही पुस्तकालयों की व्यवस्था है । विश्वविद्यालय के सभी विभागों को निर्धारित पुस्तकालय नियमों का पालन करना होगा जिन्हें सभी विभाग अपने-अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित करेंगे, यदि उनके विभाग में पृथक् विभागीय पुस्तकालय होगा ।

पुस्तकालय में प्रवेश हेतु सामान्य नियमः-

1. पुस्तकालय में पंजीकृत छात्रों का प्रवेश ही मान्य है ।
2. परिचय पत्र के बिना प्रवेश निषेध है ।
3. व्यक्तिगत सामग्री को यथा स्थान पर रखकर, प्रवेश के दौरान प्रवेश रजिस्टर की प्रविष्टियों को पूर्ण करके ही ग्रन्थालय में प्रवेश करें ।
4. पुस्तकालय में शान्तिपूर्वक बैठना एवं अध्ययन करना अपेक्षित है । अध्ययन के दौरान फोन एवं वार्तालाप निषेध है।
5. पाण्डुलिपियों को बिना अनुमति के स्पर्श करना वर्जित है ।
6. बहुमूल्य वस्तुएँ, रुपया-पैसा, आभूषण आदि अपने पास ही रखें। गुम होने पर पुस्तकालय उसका उत्तरदायी नहीं होगा ।
7. एक निश्चित अवधि तक विद्यार्थी को पुस्तकें दी जाती हैं, यदि उस अवधि तक पुस्तकें नहीं लौटाई गईं तो नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा ।
8. शब्दकोश, बहुमूल्य पुस्तकें व सन्दर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं की जाएंगी ।
9. पुस्तक खो जाने अथवा खराब होने की स्थिति में पुस्तक लेने वाले को वैसी ही पुस्तक लेकर देनी होगी अथवा पुस्तकालय के नियमानुसार मूल्य देय होगा ।
10. पुस्तकों पर नाम लिखना, पन्ना फाड़ना, पैन या पैन्सिल से निशान लगाना निषेध है ।
11. सत्रीय परीक्षा से पूर्व आपके द्वारा प्राप्त की गई सभी पुस्तकें पुस्तकालय में जमा करवाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका परीक्षा अनुक्रमांक रोक दिया जाएगा ।
12. पुस्तकालय अध्यक्ष की संस्तुति से कुलपति की स्वीकृति के पश्चात् शोध छात्र एवं अन्य अध्ययनकर्ता भी नियमानुसार पुस्तकालय की विशेष सदस्यता लेकर पुस्तकालय में अध्ययन कर सकते हैं ।
13. पुस्तकालय समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा पुस्तकालय सम्बन्धित नियमों में संशोधन किया जा सकता है ।

4.2 खेल विभाग (Sports Department)- महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से विविध प्रकार की क्रीड़ाओं का आयोजन भी करता है अतः खेल विभाग स्थापित है। विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष खेल विभाग द्वारा बैडमिन्टन, वॉलीवॉल, खेल-कूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाता है । राजभवन के निर्देशानुसार आयोजित एकलव्य एवं तरंग प्रतियोगिताओं में इस विश्वविद्यालय के छात्र भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं ।

4.3 **राष्ट्रीय सेवा योजना** (NSS) – विद्यार्थियों के व्यक्तित्त्व के विकास के लिए विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना पूर्णतः क्रियाशील है । इसके स्वयं सेवक अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में स्वच्छता, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, नागरिक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, मानवाधिकार की सुरक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कैशलेश व्यवस्था, ट्रैफिक नियन्त्रण, खुले में शौच से मुक्ति, स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक प्रकोप के समय समाज सेवा, एड्स नियन्त्रण एवं रक्तदान आदि के लिए जनजागरण अभियान चलाने के लिए तत्पर हैं । अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक MEMO NO:- 15/1-2020 NSS (2), **दिनांक** 10.05.2023 के अनुसार, यदि किसी प्रवेशार्थी के पास NSS प्रमाणपत्र है तो उसे प्रवेश में 5% की छूट दी जा सकती है ।

4.4 **राष्ट्रीय कैडेट कोर** (NCC)- महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र-छात्राओं के चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं भाई-चारे की भावना में वृद्धि के साथ-साथ धर्म-निरपेक्षता व साहसिक कार्यों को सफलता के साथ क्रियान्वित करने की भावना एवं निस्वार्थ सेवा की व्याप्त परम्परा को स्थापित करना भी है । अतः राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) योजना के शुभारम्भ हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तावित है।

4.5 **आन्तरिक गुणवत्ता प्रत्यायन परिषद्** (IQAC- Internal Quality Assurance Cell) - NAAC के निर्देशानुसार इस विश्वविद्यालय में एक IQAC (Internal Quality Assurance Cell) है । इस Cell की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है । जिसमें विश्वविद्यालय के बहुविध/आन्तरिक कार्यों, सम्मेलनों व कार्यशालाओं के द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति सुनिश्चित की जाती है ।

4.6 **निगरानी परिषद्** (Vigilance Cell) - वर्तमान में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निगरानी परिषद् है । तत्काल प्रशासनिक स्तर पर ही विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर निगरानी रखी जाती है । स्वतन्त्र रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ (Vigilance Cell) का गठन किया जा चुका है ।

4.7 **रैगिंग रोकथाम समिति एवं रैगिंग निषेध अधिनियम** (Prohibition of Ragging Committee and Prohibition of Ragging Act) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध एवं रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय में रैगिंग रोकथाम के लिए डॉ. जगतनारायण को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। रैगिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए विद्यार्थी नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय में रैगिंग सर्वथा वर्जित है। शिकायत मिलने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्कालप्रभाव से रद्द किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग अधिनियम 2009 के नियम - 6.3 (क) दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग निषेध अधिनियम (Prohibition of Ragging Act)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग विनियम - 2009 के नियम - 6.3 (क) दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार शैक्षणिक परिसरों में रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग में निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं -

1. रैगिंग हेतु उकसाना ।
2. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र ।
3. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना ।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना ।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत ढंग से रोकना ।
8. आपराधिक बल प्रयोग ।
9. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध ।
10. बलात् ग्रहण ।
11. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना ।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध ।
13. आपराधिक धमकी ।
14. मुसीबत से फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से काई अथवा सभी अपराध करना ।
15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना ।
16. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना ।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध ।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्यः-

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे

क- किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना ।

ख- छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग- किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो ।

घ- वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।

ङ- नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च- नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना ।

छ- शारीरिक शोषण से सम्बन्धित कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वाथ्य को हानि पहुँचे।

ज- मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्ट देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो ।

झ- कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन, मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना ।

विशेष- द्वितीय संशोधित यू.जी.सी. नियमावली के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी और उनके अभिभावक को ऑनलाईन शपथ-पत्र प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में जमा करना अनिवार्य है । www.antiragging.in छात्र द्वारा उनके ई-मेल पर जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी उसे विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को ई-मेल में प्रेषित करना होगा ।

संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विरोधी कार्यवाही -

रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे ।

नोट- रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही एवं दण्ड का प्रावधान है।

4.8 **युवा कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग** (Department of Youth Welfare & Cultural Activities)- युवा कल्याण विभाग छात्र-छात्रों के कल्याण के लिए समय-समय पर शैक्षणिक भ्रमण, रक्त-दान शिविर, कार्यशालाएँ, सम्मेलन एवं ज्ञानात्मक गतिविधियाँ जिससे छात्र-छात्राओं का सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हो सके करवाता है । इसका उद्देश्य सर्वदा युवा (छात्र-छात्राओं) के कल्याण हेतु कार्यों का सम्पादन होता है । विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के आयोजन करवाए जाते हैं तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं को युवा महोत्सव में शामिल किया जाता है । छात्र-छात्राओं को पुरस्कार दिए जाते हैं ।

4.9 **संगणक प्रयोगशाला** (Computer Laboratory)- विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध हैं, जिसमें 30 आधुनिक कम्प्यूटर स्थित हैं । प्रयोगशाला में छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन के साथ-साथ संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में टाईपिंग भी सिखाई जाती है। जिसका लाभ डिप्लोमा, शास्त्री, आचार्य एवं विद्यावारिधि के छात्रों को भरपूर हो रहा है । विश्वविद्यालय की इस संगणक प्रयोगशाला में अन्तर्जाल (Internet) की सुविधा सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है ।

संगणक प्रयोगशाला के नियम-

1. उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर किसी भी कॉपीराइट संरक्षित सामग्री या जानकारी को डाउनलोड करने या अवैध प्रतियाँ (जैसे सॉफ्टवेयर, संगीत, वीडियो, किताबें, फोटोग्राफी आदि) बनाने की अनुमति नहीं है ।
2. जान-बूझकर उपकरणों को भौतिक तरीकों से या ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे जो उपकरण

या सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचा सकते हैं ।

3. उपयोगकर्ता संगणक ऐसे उपयोग के लिए विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना व्यावसायिक उद्देश्यों या वित्तीय लाभ के लिए विश्वविद्यालय के कम्प्यूटरों का उपयोग नहीं कर सकते ।
4. लैब में गेम खेलने, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया सम्बन्धी वीडियो, चैटिंग और यूट्यूब आदि पर फिल्में देखने की अनुमति नहीं है । लैब में कम्प्यूटर का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, मनोरंजन के लिए नहीं ।
5. प्रयोगशाला में भोजन, पेय या किसी भी रूप में तम्बाकू के उपयोग की अनुमति नहीं है।
6. प्रयोगशाला में गतिविधियों के निरीक्षण के लिए लैब अटेंडेंट के साथ सहयोग करेंगे । अधिकृत अधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर छात्रों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा । बिना पहचान-पत्र के कम्प्यूटर प्रयोगशाला में प्रवेश वर्जित है ।
7. कम्प्यूटर लैब में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। सॉफ़्टवेयर में परिवर्तन केवल विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के अनुरोध पर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा अनुशंसित और विश्वविद्यालय के डीन द्वारा अनुमोदित और लाइसेंस की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है । पहले से इंस्टॉल किए गए सॉफ़्टवेयर के अतिरिक्त अन्य सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करने का प्रयास या मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में संशोधन की अनुमति नहीं है ।
8. विश्वविद्यालय कम्प्यूटर वायरस या उपकरण के अनुचित उपयोग या किसी अन्य कारण से डेटा की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है । छात्रों को नियमित अन्तराल पर महत्वपूर्ण डेटा बैकअप रखने की सलाह दी जाती है।
9. हार्डवेयर की शिफ्टिंग/स्वैपिंग सख्त वर्जित है।
10. कम्प्यूटर लैब में छात्रों को व्यक्तिगत लैपटॉप की अनुमति नहीं है। व्यक्तिगत लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की किसी भी क्षति या हानि के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

4.10 **नवकुण्डीय यज्ञशाला (प्रयोगशाला)** Navkundiya Yagyashala - विश्वविद्यालय के नूतन टीक परिसर में सत्र 2022-23 से ही एक नवकुण्डीय यज्ञशाला का उद्घाटन दिनाङ्क 18 मार्च 2023 को रूद्रयज्ञ से सम्पन्न हुआ । इस यज्ञशाला में नवकुण्डों का निर्माण भी हो चुका है । क्योंकि अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए अलग-अलग यज्ञ कुण्ड का निर्माण आवश्यक रहता है । नवकुण्डीय यज्ञशाला में विद्यार्थियों को कर्मकाण्ड का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4.11 **योगशाला** (Yogashala)- विश्वविद्यालय के नूतन टीक परिसर में सत्र 2022-23 से ही एक योगशाला का निर्माण किया गया है जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नियमित योगाभ्यास करते हैं । विश्वविद्यालय के योग विभागीय आचार्यों के अथक परिश्रम से विश्वविद्यालयीय छात्र-छात्राएँ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई योग प्रतियोगिताओं में भाग ग्रहण करते हैं तथा पुरस्कृत होकर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाते हैं । प्रतिदिन प्रातः एवं सायं योगशाला में विभागीय आचार्यों द्वारा योग की प्रायोगिक कक्षाओं का भी संचालन होता है।

4.12 **छात्रावास** (Hostel)- महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में विविध राज्यों से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। छात्र व छात्राओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है । अतः छात्रावास का संचालन विश्वविद्यालय

की एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है । छात्रावास में प्रवेश हेतु नामांकन के पश्चात् छात्रावास कार्यालय से आवेदन पत्र भरना होता है । इस सम्बन्ध में छात्रावास नियमावली में निर्दिष्ट नियम प्रभावी होंगे ।

छात्रावास प्रवेश नीति 2024-25

(Hostel Admission Policy 2024-25)

- विश्वविद्यालय में संचालित सभी डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र-छात्राऐं विभिन्न मानदण्डों के आधार पर छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- छात्रावास प्रबन्धन/प्रवेश समिति द्वारा तय पात्रता के आधार पर विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में कक्ष आवंटित किए जायेंगे।
- शास्त्री/आचार्य के छात्र/छात्राओं को छात्रावास प्राप्त करने की पात्रता स्थान की दूरी के आधार पर तय की जायेगी।
- विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आचार्य या शास्त्री उपाधि के छात्र यदि उसी उपाधि हेतु दूसरी बार प्रवेश लेते हैं तो ऐसे छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
- छात्रावास आवंटन में हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।

छात्र/छात्राओं के दायित्व

(Responsibilities of students)

- छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र/छात्राओं को कमरे तथा परिसर की स्वच्छता में योगदान देना होगा । अनुशासन का रखरखाव उनका आवश्यक कर्तव्य माना जाएगा । उसे छात्रावास अधीक्षक/वार्डन, विभिन्न समितियों और उप-समितियों के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है।
- छात्रावास में किसी भी प्रकार की बैठक छात्रावास या अन्य कार्यक्रम अधीक्षक/ वार्डन की अनुमति के बिना नहीं होगी।
- छात्रावास के छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षिक संगोष्ठियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। अनुपस्थित छात्र/छात्राओं को छात्रावास अधीक्षक द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
- छात्र/छात्रा को छात्रावास वार्डन के मार्गदर्शन में अपने नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियों में भाग लेना होगा।
- छात्र/ छात्राओं की गतिविधियों से सम्बन्धित बैठक की पूर्व अनुमति छात्रावास अधीक्षक से लेनी होगी।
- प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद पुनः छात्रावास लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा अन्यथा वह छात्रावास पाने के लिए योग्य नहीं होगा ।

छात्रावास अनुशासन

(Hostel Discipline)

- छात्रावास में प्रवेश के बाद छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति अनिवार्य है।

- प्रबन्धक की अनुमति के बिना छात्रावास से अनुपस्थित छात्र/छात्राओं को लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, छात्र/छात्राओं को रु. 10/- प्रति दिन सजा शुल्क के रूप में जमा करना होगा। सात दिनों तक लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास से निलम्बित कर दिया जाएगा।
- छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र द्वारा छात्रावास छोड़ने की अनुमति छात्रावास संरक्षक से लेनी होगी।
- छात्रावास की छात्राओं को शीतकाल में सायं 6:00 बजे एवं ग्रीष्म काल में सायं 7:00 बजे तक परिसर में पहुँचना अनिवार्य होगा।
- छात्रावास के छात्रों को 8:00 बजे तक परिसर में आना आवश्यक होगा।
- यदि किसी छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय के कार्यदिवस के अवसर पर अवकाश की आवश्यकता हो तो वह प्रबन्धक के पास आवेदन कर सकता है। यदि कोई आवश्यकता हुई, तो उसे लिखित रूप में प्रबन्धक से विशेष अनुमति मिल सकती है।
- विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, छात्रावास के छात्र/छात्राओं से अनुशासित जीवन जीने की उम्मीद की जाती है।
- छात्रावास के कार्यवाहक/परिचारक के साथ झगड़ा करना उन्हें अपमानित करना दुराचार माना जाएगा। ऐसे छात्र/छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई/निलम्बित किया जाएगा।
- मांसाहारी खाद्य पदार्थों, धूम्रपान की वस्तुओं आदि का उपयोग छात्रावास परिसर में निषिद्ध है।
- यदि किसी भी छात्र/छात्रा के पास नशीली दवाई, हथियार और गोला-बारूद पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया जाएगा।
- छात्र/छात्रा अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उन्हें अपना निजी बॉक्स या अलमीरा का ध्यान स्वयं रखना होगा।
- यदि किसी भी छात्र/छात्रा के पास साइकिल या स्कूटर है, तो उसे प्रबंधक को लिखित रूप से सूचित करना होगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।
- कोई भी छात्र/छात्रा हॉस्टल में हीटर, प्रेस या कोई व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखेगा और यदि पाया गया तो उस पर न्यूनतम 100/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उस वस्तु को अभिरक्षा में रखा जाएगा। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे गर्मी की छुट्टियों से पहले अपने कमरे खाली कर दें और प्रबंधक को इसकी सूचना दें। यदि कोई छात्र/छात्रा ऐसा नहीं करता है, तो उसका कमरा कुलसचिव द्वारा अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और सामान सम्बन्धित अधिकारी के सरक्षण में रखा जायेगा। अगले सत्र से छात्र / छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाएगी।

- यदि कोई छात्र/छात्रा बिना सूचना के लम्बी छुट्टी के बाद लगातार 10 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता किए जाने पर सम्बन्धित छात्र को तत्काल प्रभाव से समिति के निर्णय के आधार पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- प्रबन्धन समिति का निर्णय सभी को मान्य होगा। विशिष्ट मामलों में, छात्र/छात्रा वार्डन के माध्यम से प्रबन्धन समिति/ कुलसचिव/ कुलपति को आवेदन दे सकते हैं। कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
- छात्रावास के छात्र/छात्राओं को अपना पहचान-पत्र अपने पास रखना होगा। जब भी पूछा जाए, उसे अधिकारी/गार्ड/ चौकीदार को दिखाना होगा। ऐसा नहीं करने पर छात्र/छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
- छात्रावास पहचान पत्र के बिना छात्रावास में प्रवेश निषिद्ध है।
- कोई भी छात्र अथवा छात्रा रैगिंग की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- छात्रावास के छात्र/छात्राओं को खाने के बर्तन, रजाई, गद्दा एवं व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री स्वयं लानी होगी।
- छात्रावास के सभी छात्रों को महीने के प्रथम सप्ताह (1-6) दिनांक पर्यन्त भोजन खर्च जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- कक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् अग्रिम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु पुनः प्रवेश फार्म भरना होगा, किन्तु उनसे सुरक्षित धनराशि नहीं ली जाएगी ।

छात्र के द्वारा छात्रावासीय शपथ-पत्र

मैं .....सुपुत्र/सुपुत्री ..... कक्षा .....का छात्र/छात्रा हूँ। मैं उपर्युक्त नियमों से सहमत हूँ। अतः उक्त नियमों के विरुद्ध आचरण करने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

दिनांक : - ..... विद्यार्थी हस्ताक्षर

.....

छात्र के अभिभावक द्वारा छात्रावास सम्बद्ध शपथ-पत्र

मैं .....सुपुत्र/सुपुत्री ..... का .....का अभिभावक/माता/पिता हूँ। मैं उपर्युक्त नियमों से सहमत हूँ। अतः उक्त नियमों के विरुद्ध आचरण करने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

दिनांक : - ..... अभिभावक हस्ताक्षर

छात्रावास समिति

छात्रावास अधीक्षक को प्रत्येक माह निम्नलिखित उप-समितियों का गठन करने का अधिकार होगा:

1) खाद्य प्रबन्धन समिति।
2) उपवास समिति।
3) सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजन समिति।
4) स्वास्थ्य और प्रधान सजावट समिति

शुल्क संरचना

प्रवेशित छात्र / छात्राओं को निम्नलिखित अनिवार्य वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा:-

विवरण	शुल्क
छात्रावास प्रवेश शुल्क	100/-
छात्रावास प्रबन्धन व्यय	NIL
बिजली और पानी का शुल्क	NIL
पहचान पत्र	50/-
सुरक्षित धनराशि (रिफन्डेबल)	500/-
कुल राशि	**650/-**

टिप्पणी-

1. छात्र/ छात्राओं को भोजन की व्यवस्था का मासिक व्यय स्वयं वहन करना होगा।
2. शास्त्री अथवा आचार्य कक्षा उत्तीर्ण होने पर ही छात्रावासीय छात्रों को सुरक्षित धनराशि (500/-) वापिस की जाएगी।

4.13 **यातायात सुविधा** (Transport Facilty) – विश्वविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन की सुविधा हेतु बस की व्यवस्था की गई है। यह बस विश्वविद्यालय के छात्र/ छात्रावास से होकर कैथल बस स्टैण्ड से होती हुई विश्वविद्यालय के टीक परिसर में पहुँचती है । इसी प्रकार सांयकाल में भी कक्षाओं के उपरान्त अपने गन्तव्य स्थान तक बस सुविधा उपलब्ध रहती है ।

4.14 **भोजनालय सुविधा** (Mess Facility) – विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की सुविधा भी सामान्य शुल्क में उपलब्ध करवाई जाती है ।

4.15 **आन्तरिक शिकायत समिति** (Internal Complaints Committee) - विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना में एक आन्तरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया गया है ।

क्र. सं.	नाम	पता	पद
01.	प्रो. विभा अग्रवाल (सेवानिवृत)	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।	अध्यक्ष
02.	डॉ. जगत नारायण, सह-आचार्य (साहित्य)	महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल ।	सदस्य
03.	डॉ. शर्मिला, सहायक-आचार्या (व्याकरण)	महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल ।	सदस्य
04.	श्री सुभाष चन्द (अधीक्षक)	महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल ।	सदस्य
05.	सुश्री मंजु रानी (डी.ई.ओ.)	महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल ।	सदस्य
06.	श्रीमती बीना हॉण्डा (जोनल अधिकारी)	नारी रक्षा समिति, दिल्ली ।	सदस्य

07.	सुश्री मुस्कान, छात्रा (योग-आचार्य प्रथम)	महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल ।	सदस्य
08.	सुश्री नीलम (शोध-छात्रा) साहित्य विभाग	महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल ।	सदस्य
09.	सुश्री प्रीति शर्मा, छात्रा (आचार्य तृतीय)	महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल ।	सदस्य

5. छात्रवृत्ति (Scholarship)

I. विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रमुख उद्देश्य संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना है । हरियाणा सरकार, भारत वर्ष की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा एवं सामाजिक सहयोग के द्वारा निर्धारित छात्रवृत्तियों को निर्दिष्ट वरीयता क्रम के अनुसार छात्र-छात्राओं को प्रदान करती है । छात्रवृत्ति की राशि को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय कम या अधिक किया जा सकता है । शास्त्री एवं आचार्य के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीय छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है ।

II. **विश्वविद्यालय शोध छात्रवृति योजना (University Research Scholarship Scheme)-** विद्यावारिधि (PH.D.) के शोधार्थियों के लिए भी 'विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति' का प्रावधान है ।

III. **सीखते समय कमाएं योजना (Earn While Learn Plan)-** इस योजना के लाभ के लिए शास्त्री एवं आचार्य के निम्न नियम हैं-

1. प्रत्येक विभाग से दो पात्र एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के नाम योजना के लिए आमंत्रित होंगे ।
2. छात्रों की योग्यता मानदण्ड निम्नानुसार होंगे-
   - **(क)** एक विद्यार्थी सामान्य/आर्थिक आधार पर कमजोर होना चाहिए ।
   - **(ख)** एक विद्यार्थी अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग श्रेणी से होना चाहिए ।
   - **(ग)** एक विद्यार्थी छात्र और दूसरी छात्रा हो सकती है ।
   - **(घ)** चयन मानदण्ड शैक्षणिक वरीयता और आर्थिक मदद की जरूरत अनुसार होंगे ।
   - **(ङ)** विद्यार्थियों को आय प्रमाण पत्र देना होगा ।
   - **(च)** विद्यार्थियों को योजना के तहत कार्य पर 100/- रुपये प्रति घंटा मानदेय दिया जाएगा । जिसमें वह प्रतिदिन दो घण्टे कार्य कर सकता है ।
   - **(छ)** एक विद्यार्थी को एक महीने में अधिकतम 2400/- रुपये मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

Earn While Learn योजना का लाभ विद्यावारिधि (Ph.D.) के छात्रों को भी मिलता है । विद्यावारिधि की धनराशि नियम भिन्न है, जो निम्नलिखित हैं-

(क) इस योजना के तहत शोधार्थियों को 200/- रुपये प्रति घण्टा मानदेय दिया जायेगा । जिसमें वह प्रतिदिन दो घण्टे तीस मिनट कार्य कर सकता है । एक दिन का मानदेय अधिकतम 500/- रुपये व एक महीने का अधिकतम 6000/- रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

(ख) इस योजना में लाभार्थियों का चयन शैक्षणिक वरीयता और आर्थिक आधार के मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा ।

रेलवे रियायती यात्रा की सुविधा- विश्वविद्यालय परिसर में पंजीकृत समस्त छात्रों को शीतावकाश एवं ग्रीष्मावकाश के अवसर पर अपने गृहनगर जाने तथा विश्वविद्यालय परिसर वापस आने के लिए रेलवे द्वारा किराये में छूट दी जाती है। ग्रीष्मावकाश में अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को केवल घर जाने की सुविधा दी जायेगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए छात्र द्वारा

आवेदन करने पर कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रपत्र निर्गत किये जाते हैं। यात्रा आरम्भ से एक सप्ताह पहले आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अवधेय है कि रेलवे के नियमानुसार यह छूट केवल 25 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को ही उपलब्ध है किन्तु शोध-छात्र के लिए अवकाश अथवा गृहनगर का बन्धन नहीं है। वे अपने शोध-निर्देशक की संस्तुति पर शोध कार्य करने के लिए किसी भी समय भारत के किसी भी नगर की रेलवे छूट पर यात्रा कर सकते हैं।

6. विविध शिक्षण कार्यक्रम, प्रवेश योग्यता एवं शुल्क विवरण
(Various Teaching Programmes Admission Eligibility & Fee Details)

शिक्षण कार्यक्रम	प्रवेश योग्यता (उत्तीर्ण)	अवधि (वर्ष)
शास्त्री/ शास्त्री प्रतिष्ठा (बी.ए. प्रतिष्ठा) वेद, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, धर्मशास्त्र	10+2/समकक्ष	NEP 2020 के अनुसार (3/4 वर्षीय)
बी.ए. योग /बी.ए. योग (प्रतिष्ठा)	10+2/समकक्ष	
आचार्य (एम. ए.)- वेद, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, धर्मशास्त्र	शास्त्री/बी.ए./समकक्ष	द्विवर्षीय
एम. ए.- हिन्दू अध्ययन	स्नातक (किसी भी विषय में)	द्विवर्षीय
एम. ए.- योग	शास्त्री/ बी.ए./ समकक्ष	द्विवर्षीय
डिप्लोमा- (1)वेद (2) ज्योतिष (3) कर्मकाण्ड (पौरोहित्य) (4) वैदिक गणित (5)वास्तुशास्त्र (6) संस्कृत भाषा दक्षता (7) योग	10+2/समकक्ष	एक वर्षीय
(8) स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (अंग्रेजी-हिन्दी-अग्रेजी)	शास्त्री/बी.ए./समकक्ष	एक वर्षीय

Note:- The candidate must have passed all examinations from a recognized board of school education/ recognized University

पाठ्यक्रमानुसार शुल्क विवरण

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश स्वीकृत होने पर प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित शुल्क एवं सुरक्षित धनराशि (रुपये में) पूरे सत्र के लिए आरम्भ में ही जमा करानी होगी ।

परिचायिका शुल्क = रु. 200/- (परिचायिका का मुद्रण प्रति यदि चाहते हो तो)

शैक्षिक पाठ्यक्रमों का शुल्क

क्रं. सं.	विवरण	शास्त्री	आचार्य	डिप्लोमा	स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा
1	पंजीकरण/प्रवेश नवीनीकरण शुल्क	300	300	300	300
2.	शिक्षा शुल्क	400	500	3250	9000
3.	सुरक्षित धन (Refundable)*	200	300	200	200
4.	परिचय-पत्र	50	50	50	50
5.	पत्रिका-शुल्क**	70	100	70	70
6.	क्रीड़ा-शुल्क	100	100	100	100

7.	छात्र कल्याण कोष-शुल्क	300	300	300	300
8.	परीक्षा-शुल्क	400	400	400	400
9.	विकास-शुल्क	500	500	500	500
10.	रेड क्रॉस	80	80	80	80
11.	राष्ट्रीय सेवा योजना	50	50	50	50
12.	पत्राचार शुल्क	50	50	50	50
13.	संगणक शुल्क	200	200	200	200
14.	विविध प्रवृत्ति शुल्क	200	200	200	200
कुल योग		**2900/-**	**3130/-**	**--**	**--**
15.	प्रायोगिक शुल्क (योग एवं डिप्लोमा के छात्रों के लिए)	200	200	500	500
कुल योग (योग एवं डिप्लोमा के छात्रों के लिए)		**3100/-**	**3330/-**	**6250/-**	**12000/-**

* सुरक्षित धन (पुस्तकालय हेतु) डिप्लोमा प्रथम सत्रार्द्ध/शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध एवं आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में ही लिया जाएगा ।
अन्य सत्रार्द्ध में प्रवेश शुल्क के समय यह धन राशि नहीं ली जाएगी ।

** छात्रों के आलेख, कविता, निबन्ध आदि विश्वविद्यालय परिसर से प्रकाशित किए जाएंगे ।

7. सीटों की संख्या एवं प्रवेश प्रक्रिया
(Number of Seats & Admission Process)

पाठ्यक्रमों के प्रत्येक विभाग में अधिकतम सीटों की संख्या प्रत्येक विषयों के लिए - आचार्य-30, शास्त्री-35, डिप्लोमा-50, एक वर्षीय स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा 60 निर्धारित हैं ।

शास्त्री/B.A., आचार्य/M.A. तथा डिप्लोमा सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश मैरिट आधार पर किया जाएगा।

प्रवेश सीट वर्गीकरण

क्रम सं.	विषय	सीट प्रति विषय
1.	शास्त्री (बी.ए. /बी.ए. प्रतिष्ठा) वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र	35
2.	आचार्य (एम.ए.) वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र	30
3.	बी.ए./बी.ए. प्रतिष्ठा योग	40
4.	योग (एम.ए.)	50
5.	हिन्दू अध्ययन (एम.ए.)	30

क्र. सं.	डिप्लोमा	कुल सीट		क्र. सं.	डिप्लोमा	कुल सीट
1.	वेद	50		5.	वास्तुशास्त्र	50
2.	ज्योतिष	50		6.	संस्कृत भाषा दक्षता	50
3.	कर्मकाण्ड (पौरोहित्य)	50		7.	योग	50
4.	वैदिक गणित	50		8.	स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (अंग्रेजी-हिन्दी-अंग्रेजी)	60

सीटों का आरक्षण एवं वितरण हेतु दिशानिर्देश

क्रं. सं.	वर्ग			प्रतिशत
1.	हरियाणा सहित अखिल भारतीय अनारक्षित श्रेणी			*स्वीकृत सीटों का 15% (*अखिल भारतीय श्रेणी की सीटों में से 10% पूरे भारत के ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित)
2.	हरियाणा के वास्तविक निवासी (राज्य कोटा)			स्वीकृत सीट का 85% (राज्य कोटा समान रूप से हरियाणा की सामान्य श्रेणी और हरियाणा की आरक्षित श्रेणियों में विभाजित है)
	(i)	हरियाणा अनारक्षित सामान्य श्रेणी		*राज्य कोटा का 50% (यानि कुल सीट का 42.5%)
		(a)	हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जो निम्न श्रेणी (ii) ए और बी के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए और बी) के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं)	*हरियाणा में सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणियों की सीटों में से 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं।
	(ii)	हरियाणा की आरक्षित श्रेणियाँ		50% (राज्य कोटा का यानि कुल सीट का 42.5%)
		(a)	हरियाणा की अनुसूचित जातियाँ	राज्य कोटा का 20% (अर्थात् कुल प्रवेश का 17%)
			(i) अनुसूचित जाति	राज्य कोटा का 10% (अर्थात कुल सीट का 8.5%)
			(ii) वंचित अनुसूचित जातियाँ	राज्य कोटा का 10% (यानि कुल का 8.5%)
		(b)	हरियाणा के पिछड़े वर्ग (सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को छोड़कर) (क्रीमी लेयर)	राज्य कोटा का 27% (अर्थात कुल सीट का 22.95%)
			(i) बीसी (ब्लॉक-ए)	राज्य कोटा का 16% (अर्थात कुल सीट का 13.6%)
			(ii) बीसी (ब्लॉक-बी)	राज्य कोटा का 11% (अर्थात कुल सीट का 9.35%)
	(iii)	अलग रूप से सक्षम		राज्य कोटा का 03% (अर्थात् कुल प्रवेश का 2.55%) यदि उपयुक्त दिव्यांग उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों (1%) और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों (1%) को सीटें दी जा सकती हैं। यदि, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 3% राज्य कोटा में से 01 सीट खाली रहती है, तो पहली प्राथमिकता उस उम्मीदवार (अर्थात पूर्व सैनिक और उनके आश्रित और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित) को दी जा सकती है जो योग्यता में ऊपर होंगे।
	(iv)	इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों/स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को हरियाणा सरकार के या सरकार से सहायता प्राप्त विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के लिए 1%, अनुसूचित जाति के लिए 1%		

		और पिछड़ा वर्ग के लिए 1% आरक्षण प्रदान करके 3% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। जहाँ तक पिछड़ा वर्ग श्रेणी के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में ब्लॉक आवंटन का सवाल है, तो वर्षवार चक्रीय प्रणाली अपनाई जाएगी। उदाहरण के लिए। यदि पिछड़ा वर्ग के ब्लॉक ए को शैक्षणिक वर्ष 2023 में सीटें दी जाती हैं, तो अगले ब्लॉक यानि पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के बी ब्लॉक को अगले शैक्षणिक वर्ष यानि 2024 में सीटें दी जाएंगी। विभाग/संस्थान के सम्बन्धित अध्यक्ष/निदेशक भूतपूर्व सैनिकों/स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के लिए एक रोस्टर रजिस्टर बनाए रखेंगे और वर्ष भर में विभिन्न अंशों के माध्यम से एक सीट जमा होने तक सभी अंशों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही कुल संख्या एक आएगी, सम्बन्धित श्रेणी को एक सीट प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी

(i) सीटों का आरक्षण हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार है और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी परिवर्तन/संशोधन के अधीन है।

(ii) जहाँ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वंचित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए निर्धारित सीट अपेक्षित योग्यता रखने वाले वंचित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण शैक्षणिक वर्ष में नहीं भरी जाती है, अनुसूचित जाति के उम्मीद्वार को उपलब्ध कराया जाएगा। आरक्षित सीटों को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(iii) आरक्षण के लिए शेष निर्देश वही रहेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जा चुके हैं ।

सीट आवंटन सारणी (Seat Matrix)

विभाग		कुल सीट	अखिल भारतीय सामान्य श्रेणी (हरियाणा सहित)	हरियाणा के स्थायी निवासी (राज्य कोटा)		अनुसूचित जाति		हरियाणा के पिछडे वर्ग		दिव्याङ्ग/ पूर्व सैनिक
				सामान्य श्रेणी	EWS	वंचित अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	हरियाणा के पिछडे वर्ग (ए)	हरियाणा के पिछडे वर्ग (बी)	
शास्त्री/ शास्त्री प्रतिष्ठा	1. साहित्य 2. वेद 3. व्याकरण 4. दर्शन 5. ज्योतिष 6. धर्मशास्त्र	35	05	13	02	03	03	05	03	01
बी.ए./ बी.ए. प्रतिष्ठा	1.योग	40	06	15	02	04	03	05	04	01
आचार्य	1.साहित्य 2.वेद 3.व्याकरण 4.दर्शन 5.ज्योतिष 6.धर्मशास्त्र	30	05	11	01	03	02	04	03	01
एम.ए.	1.हिन्दू अध्ययन	30	05	11	01	03	02	04	03	01
	2.योग	50	08	17	02	04	04	07	05	01
डिप्लोमा (एक वर्षीय)	1.वेद 2. कर्मकाण्ड (पौरोहित्य) 3. ज्योतिष 4.वास्तुशास्त्र 5. संस्कृत भाषा दक्षता 6. वैदिक गणित 7. योग	50	08	17	02	04	04	07	05	01
	8.स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (अंग्रेजी-हिन्दी-अंग्रेजी)	60	09	22	03	05	05	08	06	02

आरक्षण के लिए दिशा निर्देश

(i) यदि बीसी ब्लॉक 'ए' की आरक्षित सीटें खाली रहती हैं तो इन्हें बीसी ब्लॉक 'बी' से भरा जाएगा और इसके विपरीत।

(ii) एससी श्रेणी के अतिरिक्त विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत खाली रह गई सीटें केवल तभी सामान्य श्रेणी में परिवर्तित की जाएंगी, जब अंतिम सूची प्रदर्शित होने की तारीख या अंतिम काउंसलिंग के दिन (जो भी लागू हो) तक सम्बन्धित आरक्षित वर्ग से प्रवेश के लिए कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

(iii) सरकार की अधिसूचना संख्या 2/27/2019-1 जीएस-III दिनांक 8.10.2020 (परिशिष्ट-एफ) के अनुसार अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र) और अनुसंलग्नक- के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करेंगे। (2) (वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र) पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक 'ए' और 'बी') के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र, अधिसूचना संख्या 1282- एसडब्ल्यू के तहत जमा करेंगे। (1) दिनांक 28.08.2018 को हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 808-एसडब्ल्यू (1) दिनांक 17.08.2016 की जांच महाधिवक्ता हरियाणा के परामर्श से की गई है। महाधिवक्ता ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए राय दी है कि उपरोक्त अधिसूचना के तहत सकल वार्षिक आय के रूप में निर्धारित वार्षिक आय की गणना के मानदंड में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी। वार्षिक आय की गणना के एक अलग तरीके के लिए प्रदान की गई सभी पिछली अधिसूचनाएँ या निर्देश निरस्त (Over-Ridden) हैं।

(iv) बीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र (Affidavit) आरक्षण के लाभ के लिए बीसी (ब्लॉक ए और बी) और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार पुराना बीसी/आय प्रमाणपत्र या ईडब्ल्यूएस आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जमा करता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप (Proforma) पर एक शपथपत्र क्रमशः पहली/दूसरी/तीसरी/अंतिम सूची आदि के प्रदर्शन के समय प्रस्तुत करना होगा कि वह क्रीमी लेयर (बीसी श्रेणी के लिए) के मानदंड के अंतर्गत नहीं आता है। या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है, जिसे अनुबंध- III और IV के अनुसार, हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए और बी) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। । उक्त शपथ पत्र (Affidavit) उम्मीदवार के पिता और माता दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। छात्र को प्रवेश होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर बीसी/आय प्रमाणपत्र या ईडब्ल्यूएस आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जमा करना होगा, ऐसा न होने पर उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

किसी भी श्रेणी (जहां प्रवेश मानदंड आय है) में आरक्षण/अतिरिक्त सीट/ट्यूशन शुल्क माफी का दावा करने के लिए 1.4.2021 को/उसके बाद जारी सकल वार्षिक आय का उल्लेख करने वाला आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

स्वीकृत सीटों से अतिरिक्त सीटों का प्रावधान

1. विश्वविद्यालय में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 6 की धारा 32(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप बेंचमार्क विकलांगता (40% से अधिक विकलांगता) वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत सीटों के आरक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त , बेंचमार्क विकलांगता (40% से अधिक विकलांगता) वाले व्यक्ति उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में पांच साल की छूट के अर्ह (योग्य) हैं।
2. विश्वविद्यालय में अनाथ बच्चों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में दो अतिरिक्त सीटें का प्रावधान किया गया है - एक पुरुष और एक महिला उम्मीदवारों के लिए।

3. सभी पाठ्यक्रमों में अपने वास्तविक माता-पिता की एकमात्र बालिका संतान के लिए अथवा उन वास्तविक माता-पिता की केवल दो बालिका संतानों में से एक के लिए, जिनकी केवल दो बालिका संतानें हों तथा कोई पुत्र संतान न हो, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त सीट सृजित की गई है।

4. विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त 5% सीटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सृजित की गई है।

7.1 प्रवेश समय सारणी (Admission Schedule)

क्रम सं.	प्रवेश समय-सारणी	तिथि
1.	प्रवेश पंजीकरण प्रारम्भ तिथि	01-06-2024
2.	प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि	10-06-24 से 10-07-2024 तक
3.	200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश	11-07-24 से 21-07-2024 तक
4.	500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश	22-07-24 से 07-08-2024 तक

7.2 शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ एवं सूचनाएं

Commencement of Academic Session and Notifications

प्रवेश प्रारम्भ - 10.06.2024

सम सत्र (Odd Semester) - कक्षा प्रारम्भ – 21.07.2024 परीक्षा - 23.11.2024

विषम सत्र (Even Semester) - कक्षा प्रारम्भ – 01.01.2025 परीक्षा - 01.05.2025

7.3 प्रवेश लेते समय आवश्यक प्रमाण-पत्र

(Certificate required at the time of taking admission)

- निर्धारित प्रवेश फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज

1. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण के रूप में)
2. योग्यता परीक्षा (12वीं) का विस्तृत अंक पत्र (डीएमसी)
3. योग्यता परीक्षा (स्नातक) का विस्तृत अंक पत्र (डीएमसी)
4. मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र (उन छात्रों को छोड़कर जिन्होंने (हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है या पहले से ही इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं) मूल/डिजी लॉकर/ऑनलाइन ।
5. यदि कोई छात्र डिजी लॉकर/ऑनलाइन माइग्रेशन जमा करता है, तो उसे नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
6. अंतिम बार उपस्थित संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र।
7. आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, जैसा कि परिचायिका में उल्लेख किया गया है।
8. हरियाणा सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01.04.2022 को या उसके बाद जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र, जहां भी लागू हो।

9. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
10. संबंधित अतिरिक्त सीटों (Supernumerary Seat) की श्रेणी के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण, यदि लागू हो।
11. गैप ईयर के संबंध में नोटरी पब्लिक से हलफनामा, यदि लागू हो।
12. आधार कार्ड / परिवार पहचान पत्र / स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
13. कम से कम तीन पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो (Latest Passport Size Photos)।
14. प्रवेश में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र देना होगा। आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग में प्रवेश के लिए आय प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, चण्डीगढ के पत्र क्रमांक MEMO NO:- 15/1-2020 NSS (2), **दिनांक** 10.05.2023 के अनुसार, यदि किसी प्रवेशार्थी के पास NSS प्रमाणपत्र है तो उसे प्रवेश में 5% की छूट दी जा सकती है

7.4 विशेष निर्देश (Special Instructions)

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में निर्धारित-अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।
2. जिस अभीष्ट विषय में विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है यदि उस विषय में निर्धारित अधिकतम संख्या हो चुकी है तो उस विषय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता । यदि विद्यार्थी चाहे तो अन्य विषय में अपनी रुचि अनुसार प्रवेश ले सकता है ।
3. एक शैक्षणिक-वर्ष में किसी नियमित पाठ्यक्रम के साथ एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी अपनी पात्रता के अनुसार प्रवेश ले सकता है ।
4. अर्हता-परीक्षा-परिणाम न आने पर या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र/छात्रा का प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
5. पूर्व-उत्तीर्ण-परीक्षाओं की उत्तीर्णता का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा ।
6. जन्मतिथि-प्रमाणपत्र जैसे दसवीं या तत्सम्बन्धी परीक्षा का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो जमा करवाना आवश्यक होगा ।
7. चरित्र-प्रमाणपत्र (पूर्व-संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा) (अंशकालिक-पाठ्यक्रम के प्रवेशार्थी राजपत्रित अधिकारी/संस्था-प्रमुख जहाँ अभ्यर्थी ने अध्ययन किया हो, के द्वारा) ।
8. मूल-निवास-प्रमाणपत्र । (केवल ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हरियाणा के किसी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से न्यूनतम योग्यता शिक्षा प्राप्त की हो उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा)
9. विश्वविद्यालय के नियमानुसार मूल-स्थानान्तरण-प्रमाणपत्र (Original T.C.)/प्रव्रजन-प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)/अंक-तालिकाएं (मार्कशीट) निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से नामांकन शाखा(प्रवेश–प्रकोष्ठ)-में जमा करवानी होंगी, अन्यथा स्वतः ही प्रवेश निरस्त किया जाएगा ।

10. क्रीडा सम्बन्धी-प्रमाणपत्र (राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाणपत्र यदि कोई हो तो)
11. प्रमाणपत्र (यदि प्रवेशार्थी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS), अनुसूचित-जाति, जनजाति एवं नॉन-क्रिमीलेयर-सम्बन्धी पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक-वर्ग या विकलांग कोटे का हो) तो नगर मजिस्ट्रेट/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार या निर्धारित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य-अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जाएगा)
12. शास्त्री प्रथमवर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा 15 दिन की समयावधि में ही विषय-परिवर्तन कर सकता/सकती है। विषय परिवर्तन करने हेतु सम्बन्धित-विषयों के विभागाध्यक्ष एवं संकाय-प्रमुख के माध्यम से आवेदनपत्र संस्तुत करवाकर शैक्षणिक-विभाग में जमा करवाना होगा।
13. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विभिन्न-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को अपने आधार-कार्ड एवं बैंक-खाते से सम्बन्धित-दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रवेश-आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपना एक अतिरिक्त नवीन छायाचित्र (फोटोग्राफ) संलग्न करना अनिवार्य है । जिस पर दिनाङ्क अङ्कित हो ।
14. योग के छात्रों को योग-वेशभूषा एवं यौगिक-सामग्री का व्यय स्वयं निर्वहन करना होगा ।

किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता, अमर्यादित-आचरण, रैगिंग-सम्बन्धी-अपराध, दुर्व्यवहार आदि की शिकायत प्राप्त होने पर अनुशासन-समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलपति द्वारा छात्र का पंजीकरण नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी हो सकती है ।

8.1. शास्त्री प्रतिष्ठा (स्नातक ऑनर्स) कार्यक्रमों (एकल प्रमुख) के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क

मुख्य विषय : (अधोलिखित में से कोई एक)

वेद/ व्याकरण/ज्योतिष/साहित्य/ दर्शन/ योग/ धर्मशास्त्र

शास्त्री प्रतिष्ठा (Shastri Hon's)/(B.A. Hon's) का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम प्रश्नपत्रों के साथ 184 क्रेडिट का होगा । मूल्याङ्कन के 70 अङ्क एवं आन्तरिक-मूल्याङ्कन 30 अङ्क का होगा।

(छात्रों को बहु-विषयक कार्यक्रमों के दूसरे सेमेस्टर के बाद एकल प्रमुख को चुनना होगा)

Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

(Single Major-According to NEP 2020 DGHE Guideline)

(students will choose to pursue single major after 2nd semester of multidisciplinary Programmes)

Semester	Discipline-Specific Courses (DSC) @ 4 क्रेडिट (मूल विषय)	Minor(MIC)/ Vocational (VOC) @ 2/@4 क्रेडिट (उपविषय/व्यावसायिक विषय)	Multidisciplinary courses (MDC) @ 3 क्रेडिट (बहुविषयक पाठ्यक्रम)	Ability Enhancement courses (AEC) @ 2 क्रेडिट (क्षमता संवर्धन	Skill Enhancement Courses (SEC)/ Internship/Dissertation	Value-Added Courses (VAC) @ 2 क्रेडिट	Total Credits

		(मूलविषय पाठ्यक्रम में से किसी एक विषय का चयन करें)	(मूल विषय को छोड़कर अन्य किसी एक विषय का उपविषय के रूप में चयन करें)	(बहुविषयक पाठ्यक्रम में से किसी एक विषय का चयन करें)	पाठ्यक्रम) (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम में से किसी एक विषय का चयन करें)	@ 3/ @ 4 क्रेडिट (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) (कौशल सम्बद्ध पाठ्यक्रम में से किसी एक विषय का चयन करें)	(मूल्य योजना सम्बद्ध पाठ्यक्रम) (मूल्य योजना सम्बद्ध पाठ्यक्रम में से किसी एक विषय का चयन करें)	
1	A 1	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/ धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग	**MIC1 @ 2 credits** (वेद/व्याकरण/ज्योतिष/ धर्मशास्त्र/साहित्य/ दर्शन/योग)	**MDC1 @3 credits** (इतिहास/राजनीतिशास्त्र/ अर्थशास्त्र/भाषाविज्ञान/ लोकप्रशासन)	**AEC1 @ 2 credits** (अंगेजी/हिन्दी)	**SEC-1@ 3 credits** (भारतीय ज्ञान परम्परा)	**VAC1 @ 2 credits** (पर्यावरण विज्ञान अथवा मूल्यशिक्षा/ मानवाधिकार)	**24**
	B 1	व्याकरणप्रवेशिका						
	C 1	वैदिकवाङ्मयप्रवेशिका						
2	A 2	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/ धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग	**MIC2 @ 2 credits** (वेद/व्याकरण/ज्योतिष/ धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग)	**MDC2 @3 credits** (इतिहास/राजनीतिशास्त्र/ अर्थशास्त्र/भाषाविज्ञान/ लोकप्रशासन)	**AEC2 @2 credits** (अंगेजी/हिन्दी)	**SEC-2@3 credits** (हिन्दी/ अंग्रेजी/ संगणक)	**VAC2 @2 credits** (पर्यावरण विज्ञान अथवा मूल्य शिक्षा/ मानवाधिकार)	**24**
	B 2	साहित्यशास्त्रप्रवेशिका						
	C 2	दर्शनपरिचयः						
Students exiting the programme after second semester and securing 52 credits including 4 credits of summer internship will be awarded UG Certificate in the relevant Discipline /Subject								

3	A 3	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/दर्शन/योग	**MIC3 (VOC) @ 4 credits** (वेद/व्याकरण/ ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/ दर्शन/योग)	**MDC3 @3 credits** (इतिहास/राजनीतिशास्त्र/ अर्थशास्त्र/भाषाविज्ञान/ लोकप्रशासन)	**AEC3 @2 credits** (अंगेजी/हिन्दी)	**SEC-3@3 credits** (भारतीय ज्ञान परम्परा)	----------	**24**
	A 4	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/दर्शन/योग						
	A 5	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/दर्शन/योग						
4	A 6	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/दर्शन/योग	**MIC4(VOC)@ 4 credits** (वेद/व्याकरण/ ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/ दर्शन/योग)	----------	**AEC4 @2 credits** (अंगेजी/हिन्दी)	----------	**VAC3 @2 credits** (भारतीय ज्ञान परम्परा)	**24**
	A 7	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/दर्शन/योग						
	A 8	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/दर्शन/योग						
	A 9	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/दर्शन/योग						
Students exiting the programme after fourth semester and securing 100 credits including 4 credits of summer internship will be awarded UG Diploma in the relevant Discipline/Subject								

5	**A10**	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग	----------	----------	----------	**Internship @ 4 credits#**	----------	**20**
	A11	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग						
	A12	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग						
	A13	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग						
6	**A14**	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग	**MIC5(VOC)@ 4 credits** (वेद/व्याकरण/ ज्योतिष/धर्मशास्त्र/ साहित्य/ दर्शन/योग)	----------	----------	----------	----------	**20**
	A15	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग						
	A16	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग						
	A17	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग						
Students will be awarded 3-year UG Degree in relevant major Discipline/Subject upon securing 136 credits.								

7	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग	**MIC6 @ 4 credits** (वेद/व्याकरण/ ज्योतिष/ धर्मशास्त्र/साहित्य/ दर्शन/योग)	--------	----------	----------	----------	**24**
8 (4yr UG Hon.)	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग	**MIC7 @ 4 credits** (वेद/व्याकरण/ ज्योतिष/ धर्मशास्त्र/साहित्य/ दर्शन/योग)	--------	----------	----------	----------	**24**
8 (4yr UG Hon. with Research)	वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग वेद/व्याकरण/ज्योतिष/धर्मशास्त्र/साहित्य/दर्शन/योग	**MIC7 @ 4 credits** (वेद/व्याकरण/ ज्योतिष/ धर्मशास्त्र/साहित्य/ दर्शन/योग)	--------	----------	**Research project/ Dissertation @12 credits**	----------	**24**
# Four credits of internship earned by a student during summer internship after 2nd semester or 4th semester will be counted in 5th semester of a student who pursue 3 year UG Programmes without taking exit option.							**184**

क्रेडिट के आधार पर आन्तरिक मूल्याङ्कन तीन भागों में विभक्त होगा –

क्रं. सं.	क्रेडिट	आन्तरिक परीक्षण / प्रदत्त नियत कार्य (Internal test/Assignment)	शास्त्र सम्बद्ध संगोष्ठी/ शास्त्र परिचर्चा (Shastriya Paricharcha (seminar/symposia)	शिक्षण स्त्रोत सामग्री का संचयन एवं प्रबन्धन (Learning Resource Maintenance)	उपस्थिति (Attendance)	अङ्क
1	@ 4 क्रेडिट	10	05	05	10	30
2	@ 3 क्रेडिट	08	05	04	08	25
3	@ 2 क्रेडिट	05	03	02	05	15

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार (विशेष)

According to National Education Policy 2020 (Special)

i) शास्त्री प्रतिष्ठा में प्रवेश लेने वाले छात्र यदि इस पाठ्यक्रम का एक वर्ष पूर्ण करके उत्तीर्ण होते हैं तथा अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम को स्थगित करना चाहते हैं तो उन छात्र/छात्राओं को 4 क्रेडिट (120 घण्टे) का इन्टर्नशिप करने पर एक वर्षीय प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

ii) यदि कोई विद्यार्थी दो वर्ष पूर्ण करके पाठ्यक्रम को स्थगित करना चाहता है तो उन छात्र/छात्राओं को 4 क्रेडिट (120 घण्टे) का इन्टर्नशिप करने पर द्वि-वर्षीय डिप्लोमा दिया जाएगा।

iii) यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष पूर्ण करता है और पाठ्यक्रम स्थगित करना चाहता है तो उसे शास्त्री (बी. ए.) की उपाधि प्रदान की जाएगी ।

iv) इसी प्रकार चार वर्ष पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को शास्त्री प्रतिष्ठा (Shastri/Hon's)/(B.A.Hon's) की उपाधि से विभूषित किया जाएगा ।

v) शास्त्री प्रतिष्ठा/(B.A. Hon's) पाठ्यक्रम को उतीर्ण करने वाले अभ्यर्थी स्नात्तकोत्तर (M.A.) एक वर्ष में पूरा कर सकेंगे ।

अथवा

शास्त्री प्रतिष्ठा के पश्चात् विद्यार्थी सीधा विद्यावारिधि (Ph.D.) में नियमानुसार प्रवेश लेकर शोध कार्य कर सकता है ।

vi) विशेष- द्वितीय वर्ष के पश्चात् सभी विद्यार्थियों के मुख्य विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के नियमानुसार प्रशिक्षण (Internship) करना अनिवार्य होगा ।

8.2 आचार्य (एम.ए.)

आचार्य कक्षा में प्रवेश के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं में से एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

1. शास्त्री एवं समकक्ष/ B.A. संस्कृत : संस्कृत विश्वविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था ।

अथवा

बी.ए. / बी.ए. ऑनर्स/संस्कृत : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से ।

विशेषः- (संस्कृत माध्यम से शास्त्री/B.A को वरीयता दी जाएगी)

विद्यार्थी जिस विषय में आचार्य या एम. ए. करना चाहता है उसे

1.	वेद	व्याकरण	ज्योतिष	साहित्य
	दर्शन	धर्मशास्त्र		
2.	योग (एम.ए.)	हिन्दू अध्ययन (एम.ए.)		

विशेष नियम (Special Rules)

- जिन आवेदकों ने बी.ए. (संस्कृत)/आचार्य/एम.ए अथवा वेदालंकार/विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त की है, वे आचार्य/एम. ए. स्तर पर साहित्य/धर्मशास्त्र/दर्शन/ज्योतिष/वेद/योग/हिन्दू-अध्ययन व व्याकरण विषय ले सकते हैं ।
- आचार्य (एम.ए) कक्षा षाण्मासिकी परीक्षा प्रणाली के अनुसार दो वर्षात्मक होगी जिसमें षाण्मासिक चार सत्रार्द्ध होंगे।

- सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दू-अध्ययन विषय में द्विवर्षीय स्नातकोत्तर (एम.ए) पाठ्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है जिसमें हिन्दू धर्म के वैशिष्ट्य और परम्पराओं पर आधारित पाठ्यक्रम की रचना की गई है । मुख्य रूप से तत्त्व, प्रमाण विमर्श, वेद परम्परा और शास्त्रों के अर्थ निर्धारण की पद्धतियाँ, पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा, रामायण, महाभारत, स्थापत्य, लोकवार्ता, नाट्य, कला, भाषा विज्ञान और सैन्य विज्ञान भारतीय अर्थ विज्ञान एवं भारतीय विधि इत्यादि विषयों को शामिल किया गया है ।
- आचार्य सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में कुल 20 पत्र होंगे जिनका कुल श्रेयांक 80 होगा, जिनका विवरण अधोलिखित है:-

i) मुख्य विषय के 14 पत्र होंगे, जिनमें प्रत्येक पत्र 4 श्रेयांक का होगा जो कुल 56 श्रेयाङ्क के होंगे ।

ii) प्रत्येक सत्रार्द्ध में रोजगार परक विषय के 4 पत्र होंगे, तथा प्रत्येक पत्र 4 श्रेयांक का होगा । कुल 16 श्रेयाङ्क के होंगे।

iii) शोध प्रविधि एवं पाण्डुलिपि विज्ञान का 1 पत्र होगा जिसका श्रेयांक 4 होगा । जो तृतीय सत्रार्द्ध में होगा । सभी मूल-विषयों के लिए अनिवार्य रुप से समान होगा ।

iv) लघुशोध प्रबन्ध, श्लाका एवं शास्त्रीय व्याख्यान का 1 पत्र होगा जिसका श्रेयांक 4 होगा जो चतुर्थ सत्रार्द्ध में होगा जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य रूप से समान होगा ।

आन्तरिक परीक्षण/प्रदत्त नियत कार्य (Internal test/Assignment)	-	10
शास्त्र सम्बद्ध संगोष्ठी/शास्त्र परिचर्चा (Shastriya Paricharcha (seminar/symposia)	-	05
शिक्षण स्त्रोत सामग्री का संचयन एवं प्रबन्धन (Learning Resource Maintenance)	-	05
उपस्थिति (Attendance)	-	10

कुल योग खण्ड 1+2+3+4 = कुल चार खण्ड

10+5+5+10 = **30 अङ्क**

टिप्पणी :

क) सम्बन्धित विषयाध्यापक को आन्तरिक मूल्याङ्कन की अंक तालिका एवं तत् सम्बन्धी सभी मूल्याङ्कित प्रपत्रों को विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जिससे आवश्यकता अनुसार परीक्षा विभाग मूल्याङ्कित प्रपत्रों के पुनर्निरीक्षण को एवं छात्र/अभिभावक के मांगने पर उनकी सन्तुष्टि हेतु अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर सके। परीक्षा विभाग समग्र प्रपत्रों का यथोचित समय तक रख रखाव परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप करेगा ।

ख) आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा अपने आवेदन पत्र में मुख्य विषय के चयन हेतु प्राथमिकता के क्रम से विषयों का उल्लेख करेंगे ।

8.3 विद्यावारिधि पाठ्यक्रम (Ph. D.)

विश्वविद्यालय के द्वारा शोध को बढ़ावा देने हेतु विविध विषयों में शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों को विद्यावारिधि (Ph. D.) की उपाधि भी प्रदान की जाती है ।

8.4 सेतु परीक्षा (Setu Examination)

1. जिस छात्र/छात्रा ने पूर्व में संस्कृत विषय नहीं लिया है वह छात्र/छात्रा शास्त्री प्रतिष्ठा/(B.A. Honours) कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं । लेकिन उन विद्यार्थियों को सेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. जिस छात्र/छात्राओं के पास स्नातक (बी.ए) कक्षा में संस्कृत नहीं है वह छात्र/छात्रा आचार्य कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं । लेकिन उन विद्यार्थियों को सेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. इस सेतु परीक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा/आचार्य कक्षा के अभ्यर्थी/छात्र को छः विषयों/पत्रों का षाण्मासिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।
4. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला छात्र/छात्रा ही शास्त्री प्रतिष्ठा/आचार्य के प्रथम सत्रार्द्ध की परीक्षा दे सकेगा/सकेगी।
5. सेतु पाठ्यक्रम में सामान्य संस्कृत ज्ञान, व्यवहारिक सम्भाषण, संस्कृत साहित्य का ज्ञान, संस्कृत व्याकरण, श्लोकोच्चारण आदि का अध्ययन अनिवार्य होगा ।
6. सेतु पाठ्यक्रम में क्रमशः निम्नलिखित पत्रों का अध्ययन होगा :-

क) प्रथम पत्र	-	व्याकरण परिचय
ख) द्वितीय पत्र	-	भाषा-प्रवेश
ग) तृतीय पत्र	-	संस्कृत साहित्य
घ) चतुर्थ पत्र	-	भाषा कौशल विकास

7. सेतु परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र का ही शास्त्री प्रतिष्ठा /आचार्य की सत्रार्द्ध परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा ।
8. सेतु परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा व शास्त्री प्रतिष्ठा/आचार्य परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया जाएगा ।

8.5 डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Course)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अतिरिक्त सामान्य जनसमुदाय, जो शास्त्र परम्परा के ज्ञान से परिचित होना चाहते हैं उनके लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं । जो निम्नलिखित हैं-

1. वेद
2. ज्योतिष
3. कर्मकाण्ड (पौरोहित्य)
4. वैदिकगणित
5. वास्तु
6. संस्कृत भाषा-दक्षता
7. योग
8. स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (अंग्रेजी-हिन्दी-अंग्रेजी)

विशेष :

I. डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों (अंशकालीन) में प्रवेश-अर्हता योग्यता के अनुसार वरीयता-सूची के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

II. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश-हेतु बाह्य-अभ्यर्थियों एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से एक समान प्रवेश-शुल्क लिया जाएगा।

III. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र/छात्रा की प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षा में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

IV. डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों (अंशकालीन) में प्रविष्ट-छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों (अंशकालीन) को संचालित करने हेतु समय-समय पर निर्धारित-नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी नियम की अस्पष्टता या नए नियम की आवश्यकता की स्थिति में कुलपति का निर्णय प्रभावी होगा।

V. जिन डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों (अंशकालीन)में प्रवेश-हेतु आवेदकों की संख्या 05 से कम हो, तो उस पाठ्यक्रम को इस सत्र में संचालित नहीं किया जाएगा ।

(पञ्जीकरण शुल्क - 200/-)

पञ्जीकरणसंख्या.............. आवेदनपत्रसंख्या....................

Regd. No………..……. Application No. ………..…..

महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः

मुन्दड़ी (मौनधारा), कपिष्ठलम् (कैथल)-१३६०२७, हरियाणा

(हरियाणासर्वकाराधिनियम २०/२०१८ द्वारा संस्थापितः)

छात्रस्य नूतनं स्वच्छायाचित्रम् हस्ताक्षरं विना सत्यापनं विना संश्लेषणीयम्

हस्ताक्षरम् / **Signature**

Admission Form

वर्षम्/Year 2024-25

इदं प्रपत्रं परीक्षार्थिना स्वयमेव सावधानेन पूरणीयम् । अपूर्णम् आवेदनपत्रं निरस्तं भविष्यति ।

This form must be filled by the student carefully himself/herself. Incomplete form will automatically cancelled.

1. भवान्/भवती कस्यां कक्षायां प्रवेशं स्वीकर्तुम् इच्छति?

   In which class do you want to seek admission?

   कक्षानाम ....

2. विषय: …………………………..……….

3. छात्रनाम/छात्रानाम ____________________

   Name of Student (In Block Letters) ____________________

4. पितुः नाम ____________________

   Father's Name (In Block Letters) ____________________

5. मातुः नाम ____________________

   Mother's Name (In Block Letters) ____________________

6. (i) राष्ट्रियता / Nationality ____________________

   (ii) धर्मः / Religion ☐

   (iii) श्रेणी / Category - ☐

7. क्षेत्रविवरणम्- Area ग्रामीणः Rural ☐ नगरीयः Urban ☐

8. भवान्/भवती आर्थिकरेखातः निम्नस्तरे वर्तते ? Are you below poverty line? आम् / Yes ☐ न / No ☐

9. स्थायिनिवाससङ्केतः / ____________________

   Permanent Address ____________________ पिनकोड् __________ दूरभाषः __________

   पत्राचारसङ्केतः / ____________________

   Postal Address ____________________ पिनकोड् __________ दूरभाषः __________

11. जन्मतिथिः (ख्रिस्ताब्दे): Date of Birth दिनाङ्कः/Date ☐ मासः / Month ☐ वर्षम् / Year ☐

12. लिंगम्-Sex पुरुषः-Male ☐ स्त्री-Female ☐ तदतिरिक्तः Third Gender ☐

13. रक्तकोटि-Blood Group ☐

14. क) आधारसंख्या- Aadhar No. ☐ ख) ई-मेल आईडी-E-mail ID ☐

ग) खाता संख्या-Account No. ☐ घ) मोबाईल नं॰-Contact No. ☐

(ङ) बैंक का नाम एवं IFSC कूटांक .....

15. किं भवान् / भवती नियमितच्छात्रः / नियमितच्छात्रा? आम् / Yes / न / No ☐
Are you a regular student?

16. नामाङ्कनस्य विवरणम् प्रविष्टछात्राणां कृते? आम् / Yes / न / No ☐
If yes, give details

कक्षानाम Class	**वर्षम्** Name	**अनुक्रमाङ्कः** Year Roll No.	**नामाङ्कनसंख्या** Enrolment	**Anti-Ragging** Undertaking R. N.

पूर्वोत्तीर्णपरीक्षाविवरणम् Details of the Passed Examination

(1) क्रमसंख्या Sr. No.	(2) उत्तीर्णपरीक्षा–नाम Name of the passed Examination	(3) विषयनाम यस्मिन् परीक्षोत्तीर्णा Subject of the Passed Examination	(4) उत्तीर्णपरीक्षायाः ख्रिस्ताब्दोऽनुक्रमाङ्कश्च		(5) प्राप्ताङ्कः प्रतिशतञ्च Marks Obtained & Percentage	(6) बोर्ड / विश्वविद्यालयनाम यतः पूर्वपरीक्षोत्तीर्णा Name of the Board/University from where the last examination passed
			वर्षम् Year	अनुक्रमाङ्कः Roll No.		

DISCLAIMER: Thereby declare that I have carefully read all the information's & Instructions as mentioned in University Prospectus 2023-24. I further declare that all the information furnished by me in this application & the documents, I have submitted in support of my application is true and correct. In case any information in this application is found to be false or incorrect at any time (during or after completion of the course), this shall entail automatic cancellation of my admission if granted cancellation of the degree if awarded, besides rendering me liable to such action as the University may deem fit. In the event of any medical or other emergency, my parents / guardians may be contacted at the address given above.

घोषणा- विश्वविद्यालयस्य परिचायिकायाम् (2023-24) उल्लिखितान् सर्वान् नियमान् सर्वाः सूचनाश्च ध्यानपूर्वकम् अपठिषम्, मम आवेदनपत्रे संलग्नानि सर्वाणि विवरणानि याथार्यानि इति ह प्रतिजाने। यदि मम आवेदनपत्रे प्रदत्तविवरणानि यदा कदापि असत्यानि दोषपूर्णानि इति। अभिज्ञायन्ते (पाठ्यक्रमस्य अध्ययनकाले अथवा अनन्तरम्) तर्हि मम प्रवेश /उपाधि विश्वविद्यालयः निरस्तीकर्तुं शक्नोति । अपि च आनुशासनिकप्रक्रियां कर्तुमर्हति । चिकित्साद्यत्यावश्यकसन्दर्भ प्रदत्तसङ्केते मम पित्रा/अभिभावकेन वा संपर्क कर्तुं शक्यते।

पितुः स्थानीयाभिभावकस्य हस्ताक्षरम् (Signature of Father/Local Guardian) तिथिसहित छात्र-छात्राहस्ताक्षरम् (Signature of the student with Date)

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्रवेशसमित्याः अनुशंसनम् / Recommendations of the Admission Committee

उपर्युक्तनिवरणानुसारं ---------- कक्षायां प्रवेशाय संस्तौति ।

हस्ताक्षरम् / Signature

(Admission Committee)

ख भाग:- B Part

इदं कार्यालयद्वारा पूरितं स्यात् / This must be filled in by the office of the concerned institute.

1. प्रमाणीक्रियते यत् प्रदत्तविवरणं मया अवलोकितम्। छात्रेण/छात्रया प्रदत्तविवरणम् अभिलेखानुसारं सत्यम् अस्ति। अयं छात्रः/ इयं छात्रा नियमानुसारेण विश्वविद्यालये प्रवेशं प्राप्तुं योग्यः / योग्या।

   Certified that the above entries are correct as per our record. The admission may be given as per rules of University.

   All documents have been checked and found correct.

   He / She is eligible for admission in the University.

2. एषः / एषा विश्वविद्यालयस्य छात्रः / छात्रा Is He / She enrolled in University — अस्ति Yes ☐ नास्ति No ☐

3. निष्क्रमणप्रमाणपत्रं संलग्नम् Migration certificate is — अस्ति Attached ☐ नास्ति Not attached ☐

निष्क्रमणप्रमाणपत्रं संलग्नं नास्ति चेत् छात्रेण / छात्रया 30 अक्टूबरपर्यन्तं विश्वविद्यालयकार्यालये अवश्यम् उपस्थातव्यम्। अन्यथा प्रवेशः निरस्तो भविष्यति।

If migration certificate is not attached, it is responsibility of the student to submit the same before 30th October to University office. Otherwise admission will be automatically cancelled.

4. नामाङ्कनसंङ्ख्या (कार्यालयेन प्रपूरणीया) .....

5. शुल्कविवरणम् / Details of Fee

(क) आवेदनपत्रशुल्कम् / Form fee रु. / Rs. @ .....

(ख) विलम्बशुल्कम् / Late fee रु. / Rs. @ .....

(ग) योगः / Total रु. / Rs. @ .....

शुल्कं ड्राफ्ट द्वारा साक्षाद्वा विश्वविद्यालयकार्यालये दातुं शक्यते। .....

Fee can be deposited by draft or by Cash in the University Office.

आवेदनपत्रं विश्वविद्यालयस्य कार्यालये दातव्यं भविष्यति।

वर्तमानपरिसरः -

महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः,अस्थायीपरिसरः-कैथलतः ढाण्डमार्गः टीकपरिसरः, कैथलम् (136027)

Application form should be submitted in the University office.

Present Address:-

Maharshi Valmiki Sanskrit University, Kaithal to Dhand Road, Teek Campus, Kaithal (136027)

सम्बन्धितकर्मचारिणः हस्ताक्षरम्
Signature of dealing head
दिनाङ्कः / Date

कार्यालयसहायकस्य / कार्यालयाध्यक्षस्य वा हस्ताक्षरम्
Signature of the Asst. / Section officer
नाम/Name

परीक्षाविभागः

महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः, मून्दड़ी (मौनधारा), कैथल (कपिष्ठलम्)

(हरियाणासर्वकाराधिनियम २०/२०१८ द्वारा संस्थापितः)

वर्षम् - 2024-25

नाम - .....

पितुः नाम - .....

जन्मतिथिः - .....

शाखानाम - .....

कक्षानाम - .....

दूरवाणी संख्या - .....

(छायाचित्रम्)

हस्ताक्षरम्

प्रवेशिका

महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः, मून्दड़ी (मौनधारा), कैथल (कपिष्ठलम्)

(हरियाणासर्वकाराधिनियम २०/२०१८ द्वारा संस्थापितः)

वर्षम् - 2024-25

नाम - .....

पितुः नाम - .....

जन्मतिथिः - .....

शाखानाम - .....

कक्षानाम - .....

दूरवाणी संख्या - .....

(छायाचित्रम्)

हस्ताक्षरम्

हस्ताक्षरम्
(छात्रावासाधिकारी)

हस्ताक्षरम्
(विभागाध्यक्षः)

(केवलं कार्यालयः प्रयोगाय)

नाम - ..... पितुः नाम -..... कक्षानाम - .....

शाखानाम - ..... दूरवाणी संख्या - ..... स्थानम् - .....

.....आवेदनशुल्कम् - .....

हस्ताक्षरम्
(वित्तशाखाधिकारी)

संलग्नक -1 (Annexure-1)

हरियाणा सरकार

आवेदक का फोटो जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए

प्रमाण पत्र क्रमांक._____/वर्ष _____तहसील_____.

अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____ पुत्र/पुत्री श्री_____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा, तहसील_____जिला_____राज्य/संघ शासित प्रदेश_____के निवासी हैं और उस जाति/जनजाति से संबंध रखते हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर
पूरा नाम .....
पदनाम .....
पता, टेलीफोन नंबर, कोड सहित .....

दिनांक: _____
स्थान: _____

जारी करने वाला प्राधिकारी: तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट,
नायब तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट,
विभागाध्यक्ष (सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में)

नोट: हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 22/132/2013-1GS-III दिनांक 22.03.2022 के अनुसार जारी निर्देशों के अनुसार अब हरियाणा के पात्र निवासियों को PPN के आधार पर सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

संलग्नक -2 (Annexure-2)

हरियाणा सरकार
वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ………………..........……. पुत्र/पुत्री श्री ……………………........................निवासी...................………………..............................……………. तहसील ………………………….……………. जिला …………………….हरियाणा राज्य के ………………………. जाति से संबंधित हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस जाति को हरियाणा सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या Leg/15/2020 दिनांक 15.05.2020 द्वारा वंचित अनुसूचित जाति घोषित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र उन्हें नायब तहसीलदार/तहसीलदार के सत्यापन के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर ………………………………..

नाम ………………………………..

नायब तहसीलदार/तहसीलदार की रबर स्टाम्प

दिनांक …………………

स्थान: …………………

नोट: हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 22/132/2013-1GS-III दिनांक 22.03.2022 के अनुसार जारी निर्देशों के अनुसार अब हरियाणा के पात्र निवासियों को PPN के आधार पर सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

संलग्नक -3 (Annexure-3)

पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (ब्लॉक 'ए' या 'बी')

आवेदक का फोटो
जारी करने वाले
प्राधिकारी
द्वारा
सत्यापित किया
जाना चाहिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी.....गांव/कस्बा..... ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य/संघ शासित प्रदेश ..... जाति से संबंधित हैं, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है और ब्लॉक ..... में रखा गया है (ब्लॉक 'ए' या 'बी' का उल्लेख करें)।

यह प्रमाणित किया जाता है कि वह राज्य सरकार के पत्र संख्या 1170- एसडब्लू (1)-95 दिनांक 07.06.1995 और संख्या 213- एसडब्लू (1)-2010 दिनांक 31.08.2010 और संख्या 512- एसडब्लू (1)2021 दिनांक 01.12.2021 के अनुसार व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

यह प्रमाण पत्र उसे सरपंच/पटवारी/कानूनगो के सत्यापन के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर (जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर सहित)
पूरा नाम .....
पदनाम .....
पता टेलीफोन नंबर सहित कोड सहित .....

क्रमांक: .....
स्थान: .....
दिनांक.....

जारी करने वाला प्राधिकारी: तहसीलदार या नायब तहसीलदार
विभागाध्यक्ष (सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में)

नोट: हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 22/132/2013-1GS-III दिनांक 22.03.2022 के अनुसार जारी निर्देशों के अनुसार अब हरियाणा के पात्र निवासियों को PPN के आधार पर सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

संलग्नक -4 (Annexure-4)

हरियाणा के ईडब्ल्यूएस के लिए प्रमाण पत्र

हरियाणा सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

ईडब्ल्यूएस आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या …… दिनांक :……

…… वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी …….. पुत्र/पुत्री/पत्नी ……..……..गांव/गली…… …..डाकघर……..जिला……..पिनकोड…….. के स्थायी निवासी हैं, जिनकी तस्वीर नीचे चिपकाई गई है और नीचे सत्यापित की गई है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके/उनकी परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष…….. के लिए 6 लाख रुपये (केवल छह लाख रुपये) से कम है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके/उनकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
V. स्वामित्व वाली कुल अचल संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

2 श्री/श्रीमती/कुमारी …… जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए) और पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-बी) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का फोटो जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना

हस्ताक्षर (कार्यालय की मुहर सहित)
नाम ……..
पदनाम ……..

*नोट 1: आय का अर्थ सभी स्रोतों से होने वाली आय है, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।
**नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा, जो आरक्षण के लाभ के लिए आवेदन करता है, उसके माता-पिता, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे और भाई-बहन।
***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय 'परिवार' द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाना चाहिए।

संलग्नक -5 (Annexure-5)

अस्पताल संस्थान का नाम और पता

प्रमाणपत्र संख्या____________________ **दिनांक**_____________

अभ्यर्थी की विकलांगता को दर्शाते हुए हाल ही में ली गई तस्वीर, जो मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् सत्यापित हो

विकलांगता प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी …………………….. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ……………………..आयु……………….लिंग……………….पहचानचिह्न………………………….. ……………………………..….दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार स्थाई विकलांगता से ग्रसित है।

*उसके मामले में विकलांगता का प्रतिशत …………………………..

इस प्रकार अभ्यर्थी हरियाणा के मानक मानदंडों के अनुसार दिव्यांग है।

(डॉ……………….) सदस्य मेडिकल बोर्ड	(डॉ………………….) सदस्य मेडिकल बोर्ड	(डॉ……………….) अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/
सीएमओ/अस्पताल प्रमुख (मुहर सहित)

*दिव्यांग व्यक्तियों की विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए तथा इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर/टेक्नीशियन आदि जैसे पेशेवर करियर की आवश्यकता में बाधक नहीं होना चाहिए।

संलग्नक -6 (Annexure-6)

शपथ पत्र

(बीसी-ए और बी श्रेणी के उम्मीदवारों के माता-पिता द्वारा शपथ पत्र का नमूना)

(10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मैं ..... पिता/माता ..... का निवासी ..... का हूँ और एमवीएसयू, कैथल के पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता हूँ, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि मैं ..... जाति से हूँ, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित पिछड़ा वर्ग ब्लॉक 'ए'/'बी' की सूची में शामिल है। मैं आगे घोषणा और पुष्टि करता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी/पति हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 1170-एसडब्ल्यू(1)-95 दिनांक 07.06.1995 और संख्या 213-एसडब्ल्यू(I)-2010 दिनांक 31.08.2010 और संख्या 512-एसडब्ल्यू(1) 2021 दिनांक 01.12.2021 के तहत सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को पिछड़ा वर्ग श्रेणी से बाहर करने के लिए निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं। मेरे परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष .....(आवेदन के वर्ष से पहले) के लिए .....रु. है।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि उपरोक्त पैरा में दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है तो मेरे वार्ड का प्रवेश रद्द कर दिया जाए।

साक्षी (पिता/माता)

दिनांक .....

स्थान .....

छात्र द्वारा दिया गया वचन

मैं, (छात्र का पूरा नाम).....पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती/सुश्री.....को.....(विभाग/संस्थान का नाम) में ..... (पाठ्यक्रम) में प्रवेश मिला है और मैंने सूचना पुस्तिका में निहित प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा है। मेरे परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ..... (आवेदन के वर्ष से पहले) के लिए .....रु है । मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि मैं अपना बीसी/आय प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर जमा करूंगा। यदि घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मुझे पता है कि मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

साक्षी (छात्र)

दिनांक .....

स्थान .....

संलग्नक -7 (Annexure-7)

शपथ पत्र

(ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के माता-पिता द्वारा दिए गए शपथ पत्र का नमूना)
(10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मैं ……………......………………….., ...………… का पिता/माता …...……………………….………..गाँव/कस्बा का निवासी हूँ और एमवीएसयू, कैथल में …………………….. पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता हूँ, एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हूँ, जिसे अधिसूचना संख्या 22/12/2019-आईजीएस-III दिनांक 25.02.2019 और सम संख्या दिनांक 13.03.2019 के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए और बी) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि उपरोक्त पैरा में दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश रद्द कर दिया जाए।

साक्षी (पिता/माता)

दिनांक ....

स्थान ....

छात्र द्वारा वचनबद्धता

मैं, (छात्र का पूरा नाम)…………………………………..……….पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री..……………………..……...………..को………........………………………..(विभाग/संस्थान का नाम) में ………………………...……..(पाठ्यक्रम) में प्रवेश मिलने के बाद, सूचना पुस्तिका में निहित प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि मैं 15 दिनों के भीतर अपना ईडब्ल्यूएस आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा। यदि घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मुझे पता है कि मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

साक्षी (छात्र)

दिनांक ………………

स्थान..………………

संलग्नक -8 (Annexure-8)

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मून्दड़ी, कैथल

कैम्प कार्यालय- डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, जगदीशपुरा,कैथल
दूरवाणी-93500-45366, ईमेल- Mvsumktl@gmail.com

बस पास के लिए प्रार्थना–पत्र
Application for Bus Pass

1. नाम.....
2. पिता जी का नाम .....
3. कक्षा.....रोल नं:/पंजीकरण सं.....
4. आधार संख्या.....
5. स्थायी पता..... दूरवाणी सं.....
6. पास बनवाने के स्थान एवं दूरी..... से.....से.....
   तक..... कि.मी पास बनवाने की आवेदन तिथि .....

दो टिकट साईज फोटो

विद्यार्थी द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं, यदि असत्य सिद्ध हों तो मेरा बस पास रद्द किया जाए।

तिथि :.....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

छात्र को बास बनवाने की अनुमति दी जाती है

हस्ताक्षर, इंचार्ज बस पास

नाम..... पिता का नाम.....कक्षा.....

अनुक्रमांक..... बनवाने की दूरी.....कि.मी.स्थान.....से.....

से.....तक के लिए बस पास की राशि..... (रूपये) प्राप्त की।

फोटो

अधीक्षक (शैक्षणिक)

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय

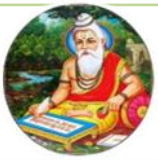

मौनधारा (मून्दडी), कपिष्ठल (कैथल), हरियाणा

(हरियाणा सरकार के अधिनियम २०/२०१८ द्वारा संस्थापित एवं यू.जी.सी. की धारा २(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त)

प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ (w.e.f. 10-06-2024)

आचार्य/एम.ए.

वेद — दर्शन
व्याकरण — धर्मशास्त्र
ज्योतिष — योग (M.A.)
साहित्य — हिन्दू अध्ययन (M.A.)

शुल्क 3330/- प्रति वर्ष

शास्त्री प्रतिष्ठा (B.A. Honors) (NEP 2020)

वेद — दर्शन
व्याकरण — धर्मशास्त्र
ज्योतिष — योग (B.A.)
साहित्य

शुल्क 3100/- प्रति वर्ष

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अंशकालीन)

वेद
ज्योतिष
कर्मकाण्ड (पौरोहित्य)
वैदिक-गणित
वास्तुशास्त्र
संस्कृत भाषा दक्षता
योग

(शुल्क 6,250/-)

एक वर्षीय स्नातकोत्तर
अंग्रेजी-हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद
डिप्लोमा
(शुल्क 12,000/-)

विश्वविद्यालय में अध्ययन के लाभ-

- शास्त्री प्रतिष्ठा (स्नातक ऑनर्स) में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रमों का समावेश।
- क्षमता सम्वर्द्धन, कौशल सम्वर्द्धन और मूल्य योजना पाठ्यक्रमों का समावेश ।
- रोजगार परक पाठ्यक्रमों का समावेश ।
- संस्कृत विषयों के साथ आधुनिक विषयों का अध्ययन ।
- हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास आदि वैकल्पिक विषयों के पाठ्यक्रमों का समावेश।
- शास्त्री प्रतिष्ठा करके प्रशासनिक सेवा (I.A.S., I.P.S) की परीक्षा में बैठने का भी सुनहरा अवसर ।
- आचार्य (स्नातकोत्तर) में परम्परागत विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश।
- भारतीय सेना में धर्म शिक्षक (R.T./J.C.O) बनने का सुनहरा अवसर ।
- विश्वविद्यालय में अनुसन्धान हेतु सुनहरा अवसर ।
- विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय में अध्ययन का अवसर ।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करेः-

वेबसाइटः-

www.mvsu.ac.in

सम्पर्क सूत्र-

95881-66090, 87089-97181

विशेष- विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

प्रवेश हेतु नीचे दिए गए पते पर सम्पर्क करें

अस्थाई परिसर- महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, टीक परिसर

(यह परिसर कैथल से कुरुक्षेत्र, ढाण्ड मार्ग पर टीक गाँव से पहले है)

कार्यालय परिसर- डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, जगदीशपुरा (अम्बाला मार्ग, कैथल- 136027)